समक्ष एस.एस. सरोन, न्यायमूर्ति

पूर्व मेजर. दीपिंदर सिंह- याचिकाकर्ता

बनाम

भारत और संघ , — *उत्तरदाताओं*

सी डब्ल्यू पी नं. 1995 की 12138

30 मई ,2003

सेना अधिनियम, 1950 - धारा 8, 191 और 192 - सेना नियम, 1954 - अनुच्छेद 16 - बी और 18 - रक्षा सेवा विनियम – नियम 104 और 105- किसी सैन्य अधिकारी की समय पूर्व सेवानिवृत्ति के अनुरोध की स्वीकृति और अनुमोदन - अनुरोध वापस लेने के लिए आवेदन - अनुरोध को अस्वीकार करने वाला सक्षम प्राधिकारी - आरएल 16 - बी एक अधिकारी को वास्तव में सेवानिवृत्त होने से पहले अपने अनुरोध को वापस लेने के लिए सरकार को आवेदन करने का अधिकार देता है और केंद्र सरकार अपने विवेकाधिकार पर इस तरह की निकासी की अनुमति दे सकती है - आरएल 18 (1) में प्रावधान है कि किसी अधिकारी की सेवानिवृत्ति निम्नलिखित तारीख से प्रभावी होगी। अधिसूचना - आदेश के प्रभावी होने से पहले किए गए अनुरोध को वापस लेने के लिए आवेदन - केवल सेवानिवृत्ति की मंजूरी से सेवानिवृत्ति प्रभावी नहीं होगी - अनुरोध में एक वचन पत्र देना नियमों के वैधानिक प्रावधानों के खिलाफ एक बाधा के रूप में काम नहीं करेगा - समय पूर्व सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन वापस लेने के अनुरोध पर विचार करने की शक्ति केंद्र सरकार में निहित है - ऐसी शक्ति किसी भी वैधानिक के अभाव में सेना मुख्यालय को नहीं सौंपी जा सकती है। प्रावधान या नियम - वापस लेने के अनुरोध पर विचार करते समय सभी प्रासंगिक सामग्री को ध्यान में रखने में विफल रहने वाले अधिकारी - याचिकाकर्ता के वापस लेने के अनुरोध को अस्वीकार करने वाले अधिकारियों के निर्णय को मनमाना माना गया - याचिका की अनुमति दी गई।

यह अभिनिर्धारित किया गया कि 26 फरवरी, 1993 के पत्र के माध्यम से केवल सेवानिवृत्ति का अनुमोदन सेवानिवृत्ति को भविष्य में प्रभावी नहीं

बनाएगा, बल्कि भविष्य में इसकी प्रभावी तारीख से प्रभावी होगा। केवल यह तथ्य कि याचिकाकर्ता ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के अपने अनुरोध में एक वचन दिया था, सेना नियमों के वैधानिक प्रावधानों के खिलाफ एक बाधा के रूप में काम नहीं करेगा। तथापि, स्थिति यह है कि जब तक कर्मचारी को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद कर्तव्यों से मुक्त नहीं किया जाता है, तब तक नियोक्ता और कर्मचारी के बीच संबंध समाप्त नहीं होते हैं। दिनांक 26 फरवरी, 1993 का आदेश क्या था?

(1)

याचिकाकर्ता को उसके कर्तव्यों से मुक्त किया जाना था और उक्त पत्र के जारी होने के 90 दिनों के भीतर जितनी जल्दी हो सके ताकत से हटा दिया जाना था। इससे पहले कि उनके कर्तव्यों से मुक्त होने की शर्त का अनुपालन किया जाता, याचिकाकर्ता ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के अपने अनुरोध को वापस ले लिया। इसलिए, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति को मंजूरी देने वाला आदेश प्रभावी नहीं हुआ।

इसके अलावा, वैधानिक प्रावधान यानी सेना नियमों के नियम 18 में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि प्रभावी तारीख आधिकारिक राजपत्र में ऐसी सेवानिवृत्ति की सूचना में उस संबंध में निर्दिष्ट तारीख है। आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना में याचिकाकर्ता की सेवानिवृत्ति की तारीख 25 मई, 1993 है और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति को वापस लेने का अनुरोध 23 मार्च, 1993 की इस तारीख से पहले था। सेना नियमावली के नियम 16-ख (2) के अनुसार यह प्रावधान किया गया है कि जिस अधिकारी के सेवानिवृत्त होने के अनुरोध को स्वीकार किया जाता है, वह सेवानिवृत्त होने से पहले अपने अनुरोध को वापस लेने के लिए केन्द्र सरकार के समक्ष आवेदन कर सकता है और केन्द्र सरकार अपने आदेश के अनुसार उसके आवेदन को वापस लेने की अनुमति दे सकती है। नियम 16-बी (2) में ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण शब्द यह हैं कि जहां सेवानिवृत्त होने का अनुरोध स्वीकार किया जाता है, अधिकारी 'सेवानिवृत्त होने से पहले' वापसी के लिए आवेदन कर सकता है। इसलिए, यह अनुरोध को मंजूरी देने या स्वीकार करने से पहले नहीं है कि कोई अधिकारी अपने अनुरोध को वापस लेने के लिए आवेदन कर सकता है, लेकिन वह 'सेवानिवृत्त होने से पहले' आवेदन कर सकता है। प्रभावी सेवानिवृत्ति आधिकारिक राजपत्र में ऐसी सेवानिवृत्ति की अधिसूचना में निर्दिष्ट तारीख होगी। इसी तरह सेना विनियमों के विनियम 104 (डी) के प्रावधान हैं जिनमें प्रावधान है कि किसी अधिकारी को तब तक उसके कर्तव्यों से मुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि यह सूचना प्राप्त नहीं हो जाती कि सेवानिवृत्त होने या इस्तीफा देने का उसका आवेदन स्वीकार कर लिया गया है। विनियम 105 (एच) के प्रावधानों में समय पूर्व

सेवानिवृत्ति के अनुरोध को स्वीकृति के बाद वापस लेने का भी प्रावधान है। इसलिए, यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता इसकी मंजूरी या स्वीकृति के बाद समय पूर्व सेवानिवृत्ति के लिए अपना अनुरोध वापस ले सकता है और यह केंद्र सरकार पर था कि वह अपने विवेक के अनुसार इस पर विचार करे।

इसके अलावा, सेना अधिनियम की धारा 8 सेना के नियमों के नियम 16-बी के संदर्भ में सेना अधिकारी द्वारा किए गए समयपूर्व सेवानिवृत्ति को वापस लेने के लिए आवेदन के अनुरोध पर विचार करने के लिए सेना मुख्यालय को अधिकार देने की शक्ति नहीं देती है।

इसके अलावा, निर्णय लेने की प्रक्रिया में प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखने में अधिकारियों की विफलता निर्णय को दूषित करती है। ऐसा प्रतीत होता है कि सेना मुख्यालय ने मुख्य रूप से केंद्र सरकार द्वारा जारी 6 मार्च, 1993 के निर्देशों के मद्देनजर समय पूर्व सेवानिवृत्ति के अनुरोध को वापस लेने के लिए याचिकाकर्ता के आवेदन को खारिज कर दिया है। इसलिए, सैन्य प्राधिकरण का निर्णय, यह मानते हुए कि इस तरह का आदेश पारित करना उसके अधिकार क्षेत्र में था, मनमाना है क्योंकि संबंधित सामग्री को ध्यान में नहीं रखते हुए निर्णय लेने की प्रक्रिया में अधिकार क्षेत्र की त्रुटि है, जिसे ध्यान में रखा जाना था। (Para 39)

वकील केएल अरोड़ा याचिकाकर्ता की ओर से

अनिल राठी, भारत संघ के लिए अतिरिक्त केंद्र सरकार के स्थायी वकील.

निर्णय

एस.एस. सरोन, न्यायमूर्ति

1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत इस याचिका में याचिकाकर्ता ने 26 फरवरी, 1993 (अनुलग्नक पी -2), 21 अप्रैल, 1993 (अनुबंध पी -4) और 26 मई, 1993 (अनुबंध पी -6) के आदेशों को रद्द करने की मांग की है, जिसके तहत याचिकाकर्ता के समय पूर्व सेवानिवृत्ति वापस लेने के अनुरोध को खारिज कर दिया गया है।

(2) मामले के लिए तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता को संघ लोक सेवा आयोग द्वारा चुना गया था और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए), (खड़कवासला), पुणे, से स्नातक किया गया था। इसके बाद, उन्होंने एक वर्ष के लिए भारतीय सैन्य अकादमी (आईएमए) देहरादून में विशेष सेना प्रशिक्षण किया। इसके

बाद उन्हें 13 दिसंबर, 1980 को भारतीय सेना में एक स्थायी नियमित कमीशन अधिकारी के रूप में कमीशन किया गया और उन्हें भारतीय सेना के बख्तरबंद कोर (टैंक शाखा) को सौंपा गया।

(3) याचिकाकर्ता ने अपने सेवा करियर के दौरान विभिन्न पाठ्यक्रमों को उत्तीर्ण किया और सभी पदोन्नति परीक्षाओं को सफलतापूर्वक पास किया, जो उन्हें लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर पदोन्नति के लिए अर्हता प्राप्त करने का हकदार बनाता था। यह कहा गया है कि याचिकाकर्ता एक उच्च प्रेरित अधिकारी है

भारतीय सेना और एक युवा लेफ्टिनेंट के रूप में जम्मू-कश्मीर में अपनी सक्रिय सेवा के दौरान अपने कर्तव्य के प्रति समर्पण के लिए सेना सेवा पदक से सम्मानित किया गया। उन्होंने 27 जनवरी, 1987 से 11 अप्रैल, 1987 तक पंजाब में "ऑपरेशन ट्राइडेंट" और 25 जुलाई, 1990 से 11 नवंबर, 1992 तक जम्मू और कश्मीर में "ऑपरेशन रक्षक" जैसे सक्रिय सेना अभियानों में भी सफलतापूर्वक भाग लिया। दिसंबर, 1992 में, याचिकाकर्ता 33 साल की उम्र के एक युवा मेजर के रूप में एक सेना उप इकाई के अधिकारी कमांडिंग बने और उन्हें पठानकोट के मामून कैंट, मामून कैंट, बख्तरबंद ब्रिगेड में तैनात ट्रॉल स्काड्रन 16 (स्वतंत्र) बख्तरबंद ब्रिगेड के अधिकारी कमांडिंग के रूप में तैनात किया गया। वहां उनके नियंत्रण से बाहर कुछ बाध्यकारी घरेलू परिस्थितियों के कारण, उन्होंने दिनांक 8 दिसंबर, 1992 (अनुलग्नक पी-1) को एक आवेदन प्रस्तुत किया जिसमें सेवा से समयपूर्व सेवानिवृत्ति के उनके अनुरोध पर यथाशीघ्र उनकी हकदारियों के साथ विचार करने का अनुरोध किया गया था। प्रतिवादियों ने अपने दिनांक 26 फरवरी, 1993 के आदेश (अनुलग्नक पी-2) के तहत समयपूर्व सेवानिवृत्ति को मंजूरी दे दी और याचिकाकर्ता को सूचित किया गया कि उसे उसके कर्तव्यों से मुक्त कर दिया जाएगा और उक्त पत्र के जारी होने के 90 दिनों के भीतर जितनी जल्दी हो सके उसे हटा दिया जाएगा। याचिकाकर्ता को अभी तक सेवा से मुक्त नहीं किया गया था और उसने 23 मार्च, 1903 (अनुबंध पी -3) को एक पत्र प्रस्तुत किया जिसमें समय से पहले सेवानिवृत्ति के लिए अपने आवेदन को वापस लेने का अनुरोध किया गया था। उन्होंने कहा कि जिन परिस्थितियों के लिए याचिकाकर्ता ने सेवानिवृत्ति मांगी थी, वे बदल गई हैं। इसलिए उन्होंने समय पूर्व सेवानिवृत्ति के अपने आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया। उक्त आवेदन की सिफारिश उनके ब्रिगेड कमांडर ने इस टिप्पणी के साथ की थी कि अधिकारी एक सक्षम, अच्छा, समर्पित और रेजिमेंटल अधिकारी है। इसके अलावा, उनकी पारिवारिक परिस्थितियों में बदलाव आया और अब वह रहना चाहते थे। सेवा के हित में उनके प्रतिधारण की दृढ़ता से सिफारिश की गई थी। याचिकाकर्ता के उक्त अनुरोध पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार किया गया और 21 मार्च, 1993 के आदेश (अनुबंध पी-4) के तहत इसे अस्वीकार कर दिया गया। इसलिए उनकी समयपूर्व सेवानिवृत्ति को मंजूरी देने वाले 26 फरवरी, 1993 के आदेश (अनुलग्नक

पी-2), 21 अप्रैल, 1993 के आदेश (अनुलग्नक पी-4) में समयपूर्व सेवानिवृत्ति के उनके अनुरोध को खारिज करने और 26 मई, 1993 के आदेश (अनुलग्नक पी-6) को चुनौती देते हुए वर्तमान याचिका दायर की गई है।.

(4) याचिका का नोटिस जारी किया गया था और प्रतिवादियों ने अपना लिखित बयान दायर किया था जिसमें प्रारंभिक आपत्ति की गई थी कि याचिका देरी के आधार पर खारिज की जा सकती है क्योंकि लागू आदेश 21 अप्रैल, 1993 को पारित किया गया था और याचिकाकर्ता 25 मई, 1993 से सेना से सेवानिवृत्त हुए हैं और 2 वर्ष से अधिक समय के बाद दायर की गई रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। इसके अलावा, यह कहा गया है कि याचिकाकर्ता को अपने कार्य और आचरण और सहमति से आक्षेपित आदेश को चुनौती देने से रोका जाता है क्योंकि सेवानिवृत्ति का आदेश उसके स्वयं के अनुरोध पर दिया गया था। उन्होंने अपनी समयपूर्व सेवानिवृत्ति के 26 फरवरी, 1993 के आदेश (अनुबंध पी-2) के बाद अपना नाम वापस लेने का आवेदन प्रस्तुत किया था, जिसमें विशेष रूप से कहा गया था कि उन्हें उनके कर्तव्यों से मुक्त कर दिया जाएगा और जितनी जल्दी हो सके पद से हटा दिया जाएगा। उनके सेवा कैरियर के अन्य भौतिक पहलुओं को रिकॉर्ड का विषय माना जाता है। तथापि, इस बात से इंकार किया जाता है कि लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर पदोन्नति के लिए कोई पदोन्नति परीक्षा हुई थी। जहां तक सेना सेवा पदक का संबंध है, यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह किसी भी रैंक के सेना अधिनियम के अधीन प्रत्येक व्यक्ति को दिया जाता है जो एक निर्दिष्ट अवधि के लिए किसी विशेष क्षेत्र में कार्य करता है और यह विशिष्ट सेवा के लिए व्यक्तिगत अलंकरण या पुरस्कार नहीं है जैसा कि पेश किया जा रहा था। इसके अलावा, याचिकाकर्ता द्वारा विभिन्न अभियानों में भागीदारी के संबंध में, यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह किसी भी समय विभिन्न अधिकारियों, जेसीओ और अन्य रैंक का नियमित कर्तव्य है। अवैध सेवानिवृत्ति के आरोपों से इनकार किया जाता है। यह भी कहा गया है कि याचिकाकर्ता के पास एक उच्च औसत प्रोफ़ाइल है और एसीआर की संख्या में उच्च औसत (समग्र और व्यक्तिगत गुणवत्ता और प्रदर्शित प्रदर्शन चर) के रूप में मूल्यांकन किया गया है। यह भी प्रस्तुत किया गया था कि वचन देने के बावजूद, याचिकाकर्ता ने घर पर बदली परिस्थितियों के मद्देनजर अपनी समयपूर्व सेवानिवृत्ति को रद्द करने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया। समय पूर्व सेवानिवृत्ति रद्द करने के उनके आवेदन पर विचार किया गया और सक्षम प्राधिकारी ने योग्यता के आधार पर इसे खारिज कर दिया। इसके बाद, वह समय से पहले सेवानिवृत्ति पर चले गए और एक सेवानिवृत्त जीवन व्यतीत किया। यह प्रार्थना की गई थी कि रिट याचिका को खारिज कर दिया जाए।

(5) याचिकाकर्ता ने अपनी प्रतिकृति दायर की है। इस बात से इनकार किया गया है कि इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाने में उनकी ओर से कोई चूक हुई थी। यह कहा गया है कि उन्हें उनके कर्तव्यों से मुक्त किए जाने के बाद- दिनांक 26 मई, 1993 (अनुलग्नक पी-6) के आदेश के तहत उन्होंने 3 मई, 1993 (अनुलग्नक पी-7), 2 जून, 1994 (अनुलग्नक पी-8) और 1 मार्च, 1995 (अनुलग्नक पी-9) को कई अभ्यावेदन दिए और उन्होंने प्राधिकारियों से अनुरोध किया कि उन्हें सेवा में बनाए रखा जाए क्योंकि उन्होंने पहले ही समय पूर्व सेवानिवृत्ति के अपने अनुरोध को वापस ले लिया था। इसके अलावा, यह कहा गया है कि उन्हें 5 साल की अवधि के लिए आरआरओ (नियमित रिजर्व अधिकारी) पर रखा गया है, जिसके भीतर उन्हें रेडियो, टीवी या संचार के माध्यम से जारी 72 घंटे के नोटिस पर सशस्त्र बलों में राष्ट्र की सेवा करने के लिए वापस बुलाया जा सकता है।अधिकारी उन्हें आरआरओ पर रख सकते हैं और उन्हें राष्ट्र की सेवा के लिए वापस बुला सकते हैं, ऐसा कोई कारण नहीं है कि उन्हें सेवा में नहीं रखा जाए, खासकर जब उन्होंने सेवानिवृत्ति के लिए अपना अनुरोध वापस ले लिया है। लिखित बयान में कही गई अन्य बातों से इनकार किया जाता है और याचिका में कही गई बातों को दोहराया जाता है।

(6) मैंने याचिकाकर्ता के वकील श्री केएल अरोड़ा और प्रतिवादियों के लिए अतिरिक्त केंद्र सरकार के स्थायी वकील श्री अनिल राठी को सुना और उनकी सहायता से मामले के रिकॉर्ड को देखा।.

(7) अपीलकर्ता के वकील ने दलील दी कि याचिकाकर्ता को सेना से राहत देते समय पूर्व सेवानिवृत्ति का कोई अनुरोध नहीं किया गया था क्योंकि अनुरोध प्रभावी होने से पहले ही वापस ले लिया गया था। याचिकाकर्ता की सेवा सेना अधिनियम, 1950, सेना नियम, 1954 और उसके तहत बनाए गए रक्षा सेवा विनियमों के प्रावधानों के साथ-साथ सेना द्वारा 31 दिसंबर, 1990 के पत्र द्वारा परिचालित नीतिगत निर्णय द्वारा शासित होती है। यह तर्क दिया गया है कि सेना नियम, 1954 के नियम 16-बी के तहत एक अधिकारी जिसके सेवानिवृत्त होने का अनुरोध स्वीकार कर लिया जाता है और वास्तव में सेवानिवृत्त होने से पहले, वह अपने अनुरोध को वापस लेने के लिए सरकार को आवेदन करने का हकदार है। इसके अतिरिक्त, सेवानिवृत्ति की तारीख उपर्युक्त नियमों के नियम 18 के अनुसार सरकारी राजपत्र में प्रकाशित की जाती है और सेवानिवृत्ति की वास्तविक तारीख 25 मई, 1993 है जो वह तारीख है जिसे 9 मार्च, 1996 को राजपत्र में प्रकाशित किया गया था और दिनांक 16 अप्रैल, 1996 के पत्र (अनुपत्र पी-12) द्वारा अग्रेषित किया गया था। आगे यह तर्क दिया गया है कि रक्षा सेवा विनियम (संक्षेप में विनियम) के विनियमन 105 (ए) के संदर्भ में आवेदक को सेवानिवृत्ति की तारीख देने

की आवश्यकता नहीं है जहां से वह सेवानिवृत्त होना चाहता है क्योंकि अधिकारियों के लिए उसे सेवानिवृत्त करना प्रशासनिक रूप से सुविधाजनक नहीं हो सकता है और विनियमन 104 (डी) में प्रावधान है कि एक अधिकारी जिसके सेवानिवृत्त होने के आवेदन को सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है, वह अपने कार्यकाल को रद्द करने के लिए आवेदन कर सकता है। निवेदन। यहां तक कि विनियम 105(एच) में यह प्रावधान है कि यदि किसी अधिकारी को अप्रत्याशित कारणों से समय पूर्व सेवानिवृत्ति के लिए उसके अनुरोध को स्वीकार करने के बाद लेकिन सेवानिवृत्त होने से पहले अपने आवेदन को वापस लेने के लिए मजबूर किया जाता है, तो वह केंद्र सरकार को आवेदन कर सकता है और उसके अनुरोध को केंद्र सरकार के विवेक पर स्वीकार किया जा सकता है। इसकी अगली कड़ी के रूप में, दलीलों के दौरान यह तर्क दिया जाता है कि समय से पहले सेवानिवृत्ति के लिए याचिकाकर्ता के अनुरोध पर केंद्र सरकार द्वारा नहीं बल्कि सेना द्वारा विचार किया गया है।

मुख्यालय और इसलिए, अनुरोध पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार नहीं किया गया था। यह भी तर्क दिया गया था कि 31 दिसंबर, 1990 के नीतिगत निर्णय में भी यह प्रावधान है कि एक अधिकारी जिसका समय पूर्व सेवानिवृत्ति का आवेदन स्वीकार कर लिया गया है और वह अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण अपना अनुरोध वापस लेना चाहता है, वह सरकार को आवेदन कर सकता है और उसके अनुरोध पर गुण-दोष के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। अपनी दलील के समर्थन में उन्होंने सुभाष चंद्र राठी बनाम पंजाब राज्य (1994 का सीडब्ल्यूपी सं. 9826) मामले में इस न्यायालय के 8 मई, 1995 के निर्णय और बलराम गुप्ता बनाम भारत संघ (1) मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया है, जिसे शंभू मुरारी सिन्हा बनाम प्रोजेक्ट एंड डेवलपमेंट इंडिया एंड एनआर के मामले में दोहराया गया है। (2) उन्होंने आगे तर्क दिया कि किसी भी मामले में उनकी समयपूर्व सेवानिवृत्ति वापस लेने के उनके अनुरोध को अस्वीकार करने वाला आदेश एक गैर-बोलने वाला आदेश है और सभी प्रासंगिक कारकों और सामग्री पर विचार नहीं किया गया है जिन्हें ध्यान में रखा जाना चाहिए था।.

(8) दूसरी ओर, भारत संघ के वरिष्ठ स्थायी वकील श्री अनिल राठी ने तर्क दिया है कि याचिकाकर्ता अपनी समयपूर्व आवश्यकता को वापस लेने का दावा नहीं कर सकता है जिसे सक्षम प्राधिकारी ने उसके अनुरोध पर अनुमोदित किया था। इसके अलावा, इस तरह की निकासी की अनुमति देना या न देना केंद्र सरकार का विशेषाधिकार और विवेकाधिकार है। इसके अलावा, याचिकाकर्ता का यह मामला नहीं है कि उसने समय से पहले सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन प्रस्तुत नहीं किया था जिसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमति दी गई थी। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि याचिकाकर्ता को समय से पहले सेवानिवृत्ति के अनुरोध को वापस लेने के अपने अनुरोध को अस्वीकार करने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए क्योंकि सक्षम प्राधिकारी द्वारा तथ्यों पर विचार करने के बाद आदेश पारित किया गया है। यह भी तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा भरोसा किए गए निर्णयों का वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर कोई असर नहीं पड़ता है क्योंकि उन मामलों में अधिकारी / अधिकारी ने नियत तारीख से समय से पहले / स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए एक अनिवार्य आवेदन प्रस्तुत किया था और उन मामलों में इसे वापस लेने के लिए आवेदन उस तारीख से पहले स्वीकार कर लिया गया था। सेना मुख्यालय द्वारा आदेश पारित करने के संबंध में, न कि केंद्र सरकार द्वारा, विद्वान वकील द्वारा यह प्रस्तुत किया जाता है कि 21 अप्रैल, 1993 का आदेश सेना प्रमुख द्वारा पारित किया गया था और चूंकि याचिकाकर्ता ने रिट याचिका में इस संबंध में कोई याचिका नहीं उठाई थी।

1. एआईआर 1987 एस.सी. 2354
2. (2000) 5 एस.सी.सी. 621

और इस प्रकार इस संबंध में उत्तर दाखिल करने का कोई अवसर नहीं था। प्रतिवादियों ने यह रुख अपनाया है कि केंद्र सरकार द्वारा 6 मार्च, 1993 को जारी किए गए आदेश के मद्देनजर सेना मुख्यालय द्वारा पारित आदेश, जिसके अनुसरण में सेना मुख्यालय को यह निर्देश दिया गया था कि केवल समय पूर्व सेवानिवृत्ति वापस लेने के लिए आवेदन केंद्र सरकार को भेजे जाएं, जिसमें सेना मुख्यालय/एमएस शाखा इस निष्कर्ष पर पहुंची कि यह वापस लेने के लिए एक उपयुक्त मामला है। आवेदनों को अपने स्तर पर निपटाया जाए। उचित विचार के बाद यह पाया गया कि याचिकाकर्ता द्वारा समय से पहले सेवानिवृत्ति के लिए अपने अनुरोध को वापस लेने के लिए लिया गया आधार वापस लेने के लिए उपयुक्त नहीं था। उनके आवेदन पर सेना मुख्यालय ने फैसला किया था जिसके फैसले से उन्हें अवगत करा दिया गया था। यह भी तर्क दिया गया है कि सेना अधिनियम की धारा 8 (2) के तहत, केंद्र सरकार के पास किसी भी अधिकारी को अपनी शक्तियां सौंपने की शक्ति है।

(9) बहस के दौरान सेना मुख्यालय को शक्तियों के प्रत्यायोजन से संबंधित रक्षा मंत्रालय के दिनांक 6 मार्च, 1993 के अनुदेशों को दिनांक 8 जनवरी, 2003 के आदेश द्वारा अभिलिखित किया गया।

उपरोक्त दलीलों और संबंधित वकील द्वारा आग्रह किए गए तर्कों के आधार पर, जिन प्रश्नों पर विचार करने की आवश्यकता है, वे हैं:—

1. क्या याचिकाकर्ता, एक सैन्य अधिकारी द्वारा किया गया समय पूर्व सेवानिवृत्ति का अनुरोध इसकी मंजूरी के बाद लेकिन प्रभावी होने से पहले वापस लिया जा सकता है।

2. क्या सेना मुख्यालय को समय पूर्व सेवानिवृत्ति वापस लेने के अनुरोध को अस्वीकार करने के लिए सक्षम प्राधिकारी कहा जा सकता है, जो सेना अधिनियम की धारा 8 (2) और दिनांक 6 मार्च, 1993 के निर्देशों के तहत अपनी प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करता है।

3. क्या किसी भी मामले में समय पूर्व सेवानिवृत्ति के अनुरोध को अस्वीकार करने वाला आदेश मनमाना है क्योंकि निर्णय लेने

की प्रक्रिया में सभी प्रासंगिक कारकों को ध्यान में नहीं रखा गया है।

(10) प्रश्न संख्या 12के संबंध में। मैं, इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि याचिकाकर्ता सेना अधिनियम, 1950, सेना नियमावली, 1954 और उसके तहत बनाए गए और उसके तहत बनाए गए रक्षा सेवा विनियमों के प्रावधानों द्वारा शासित है। इसमें शामिल प्रश्न का उत्तर देने के लिए, यह देखा जा सकता है कि याचिकाकर्ता ने 8 दिसंबर, 1992 के अपने पत्र (अनुबंध पी-1) के माध्यम से समय पूर्व सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन किया था। उक्त अनुरोध को सेना मुख्यालय द्वारा 26 फरवरी, 1993 को अनुमोदित किया गया था (अनुलग्नक पी-2)। उसमें यह संकेत दिया गया था कि उन्हें उनके कर्तव्यों से मुक्त कर दिया जाएगा और जितनी जल्दी हो सके ताकत को हटा दिया जाएगा, लेकिन 90 दिनों के बाद नहीं। इसके बाद याचिकाकर्ता ने 23 मार्च, 1993 के पत्र (अनुलग्नक पी-3) के माध्यम से अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण समय पूर्व सेवानिवृत्ति वापस लेने का अनुरोध किया क्योंकि परिस्थितियां बदल गई थीं। इस अनुरोध की सिफारिश ब्रिगेड कमांडर द्वारा की गई थी जो याचिकाकर्ता के समीक्षा अधिकारी थे। तथापि, याचिकाकर्ता को दिनांक 26 मई, 1993 (अनुलग्नक पी6) के पत्र के माध्यम से 25 मई, 1993 से सेवा से सेवानिवृत्त कर दिया गया था। सेना नियम, 1954 का नियम 16-बी किसी अधिकारी के स्वयं के अनुरोध पर उसकी सेवानिवृत्ति से संबंधित है। नियम 18 उस तारीख से संबंधित है जिससे सेवानिवृत्ति प्रभावी हो जाती है। सेना नियम 1954 के नियम 16-बी और 18 को निम्नानुसार पढ़ा जाता है। . .

"16-बी. एक अधिकारी की सेवानिवृत्ति उसके स्वयं के अनुरोध पर। नियम 16ए के तहत अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए उत्तरदायी होने से पहले किसी अधिकारी की अपने अनुरोध पर सेवानिवृत्ति के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी की आवश्यकता होगी।

(2) एक अधिकारी जिसका सेवानिवृत्त होने का अनुरोध स्वीकार कर लिया गया है, वह सेवानिवृत्त होने से पहले, अपने अनुरोध को वापस लेने के लिए केंद्र सरकार को आवेदन कर सकता है। केंद्र सरकार अपने विवेक से उनके आवेदन को वापस लेने की अनुमति दे सकती है।

1. वह तारीख जिससे सेवानिवृत्ति, इस्तीफा, निष्कासन, रिहाई, आरोपमुक्त या बर्खास्तगी के अलावा कोर्ट-मार्शल की सजा प्रभावी होती है। (1) धारा 19 के अधीन किसी अधिकारी की बर्खास्तगी या ऐसे अधिकारी की सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र, रिहाई या निष्कासन शासकीय राजपत्र में ऐसी बर्खास्तगी, सेवानिवृत्ति या निष्कासन की अधिसूचना में उस निमित्त विनिर्दिष्ट तिथि से प्रभावी होगा।

2. अधिनियम के अधीन किसी ऐसे व्यक्ति की बर्खास्तगी, एक अधिकारी के अलावा जिसकी बर्खास्तगी कोर्ट-मार्शल की सजा के अलावा विधिवत रूप से अधिकृत है या आरोपमुक्त किया गया है

ऐसे व्यक्ति का निर्वहन, जिसका निर्वहन, यदि विधिवत प्राधिकृत हो, ऐसे व्यक्ति के कमांडिंग अधिकारी द्वारा सभी सुविधाजनक गति के साथ किया जाएगा। ऐसी बर्खास्तगी या निर्वहन को अधिकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी, बर्खास्तगी या निर्वहन को अधिकृत करते समय, भविष्य में किसी भी तारीख को निर्दिष्ट कर सकता है जहां से यह प्रभावी होगा:

बशर्ते कि यदि ऐसी कोई तारीख निर्दिष्ट नहीं की जाती है, तो बर्खास्तगी या निर्वहन उस तारीख से प्रभावी होगा जिस पर इसे विधिवत अधिकृत किया गया था या जिस तारीख को व्यक्ति को बर्खास्त या आरोपमुक्त किया गया था, सैन्य कर्तव्य का पालन करना बंद कर दिया जाएगा, जो भी बाद की तारीख हो।

3. अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति की सेवानिवृत्ति, निष्कासन, इस्तीफा, रिहाई, निर्वहन या बर्खास्तगी पूर्वव्यापी नहीं होगी।

(11) रक्षा सेवा विनियमों के विनियम 104 और 105, जो इसमें शामिल प्रश्न के निर्धारण के लिए भी आवश्यक हैं, को भी विज्ञापन दिया जा सकता है::—

104. सेवानिवृत्ति और त्यागपत्र-(क) राष्ट्रपति किसी अधिकारी को बिना कोई कारण बताए किसी भी समय अपने आयोग से सेवानिवृत्त होने या त्यागपत्र देने के लिए कह सकता है।

1. केंद्र सरकार किसी भी अधिकारी को सेना अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अधीन किसी भी समय सेवानिवृत्त होने या अपने कमीशन से इस्तीफा देने के लिए कह सकती है।

2. उपर्युक्त उप-पैरा (क) और (ख) में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के अतिरिक्त कोई भी प्राधिकारी किसी अधिकारी को सेवानिवृत्त होने या अपने कमीशन से त्यागपत्र देने के लिए नहीं कह सकता है या ऐसा करने के लिए उस पर कोई दबाव नहीं डाल सकता है।

3. एक अधिकारी को तब तक उसके कर्तव्यों से मुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि यह सूचना प्राप्त नहीं हो जाती कि सेवानिवृत्त या resi.gn के लिए उसका आवेदन स्वीकार कर लिया गया है। एक अधिकारी जिसका सेवानिवृत्त होने या इस्तीफा देने का आवेदन स्वीकार कर लिया गया है, वह अपने आवेदन को रद्द करने के लिए केंद्र सरकार को आवेदन कर सकता है। उन अधिकारियों के मामले में जो एक बार सेवानिवृत्ति के लंबित होने के कारण छुट्टी पर चले गए हैं, ऐसे आवेदनों को वापस लेने की अनुमति केवल असाधारण परिस्थितियों में दी जाएगी। सेवानिवृत्त होने के सभी आवेदनों पर केंद्र सरकार का निर्णय अंतिम होगा।

(12) सेना का एक अधिकारी जो सेवा से इस्तीफा देता है, वह केंद्र सरकार के अधीन किसी भी नागरिक नियुक्ति को खाली कर देता है, जब तक कि केंद्र सरकार अन्यथा निर्देश न दे।

105. त्यागपत्र/सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन-(क) सेना के अधिकारियों का अपना कमीशन त्यागपत्र देने अथवा सेवानिवृत्त होने का आवेदन निर्धारित चैनलों के माध्यम से सेना मुख्यालय को अग्रेषित किया जाएगा। आवेदक को एक संभावित तारीख देने की आवश्यकता नहीं है जिससे यह वांछित हो कि सेवानिवृत्ति / इस्तीफा प्रभावी होना चाहिए क्योंकि यह सक्षम प्राधिकारी के लिए वांछित तिथि तक निर्णय लेने के लिए प्रशासनिक रूप से सुविधाजनक नहीं हो सकता है। हालांकि, यदि कोई आवेदक किसी भी उचित कारणों से एक निर्दिष्ट तिथि से सेवानिवृत्त होना चाहता है, जैसे कि पेंशन का कम्युटेशन या पेंशन की उच्च दर, तो वह अपने आवेदन में एक

संभावित तिथि इंगित कर सकता है और उस तारीख से कम से कम 4 महीने पहले अपना आवेदन जमा कर सकता है। पेंशन के लिए अपेक्षित योग्यता सेवा के साथ सेवानिवृत्ति के मामले में, आवेदक यह भी बताएगा कि वह अपनी पेंशन कहां से लेना चाहता है।

1. आवेदन अग्रेषित करते समय, आयोजन समिति इकाई, जब यह कदाचार या एक सज्जन व्यक्ति के रूप में अधिकारी या उसके चरित्र के सम्मान को प्रभावित करने वाली किसी भी चीज का परिणाम होता है, तो मामले की सभी परिस्थितियों और विवरणों को बताएगी। बयान को सेना मुख्यालय को भेजने के लिए जिम्मेदार प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि वह इसे आगे बढ़ाने से पहले मामले का पूरा विवरण दे। ओसी यूनिट यह भी बताएगी कि क्या सभी रेजिमेंटल दावों का भुगतान किया गया है यदि उन्हें किसी बकाया दावे के बारे में पता है, और क्या इस्तीफे या सेवानिवृत्ति को मंजूरी देने पर कोई आपत्ति है।

2. यदि कोई अधिकारी अपने कमीशन से इस्तीफा देता है या ग्रेच्युटी के साथ सेवानिवृत्त होता है, तो सीडीए (ओ) से एक अनंतिम नो डिमांड सर्टिफिकेट (आईएएफए -4500) प्राप्त किया जाएगा और आवेदन के साथ अग्रेषित किया जाएगा।

3. जब कोई अधिकारी सेवानिवृत्ति/त्यागपत्र पर आगे बढ़ता है या आगे बढ़ने वाला होता है या सेवानिवृत्ति/त्यागपत्र पर अपनी इकाई छोड़ देता है या नियुक्ति करता है, तो उसका कमांडिंग अधिकारी आईएएफए-4500 तैयार करेगा, जहां तक रेजिमेंटल और सार्वजनिक दावों का संबंध है, उसे पूरा करेगा, और किसी भी बकाया मांग के संबंध में अंतिम नो डिमांड सर्टिफिकेट के रूप में स्पष्ट रूप से समर्थन करेगा। यह फॉर्म सीडीए (ओ) को प्रस्तुत किया जाएगा जो इसकी जांच करेगा और जहां आवश्यक हो वहां संशोधन करेगा। सीडीए (ओ) यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि यह प्रमाण पत्र अंतिम वेतन प्रमाण पत्र के साथ हो, जब बाद में जारी किया जाना है। जब सीडीए (ओ) के पास यह मानने के कारण होते हैं कि ग्रेच्युटी के साथ सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी के खिलाफ सार्वजनिक मांग बकाया है, तो वह मामले को सीडीए (पी), इलाहाबाद और सेना मुख्यालय को टेलीग्राम द्वारा रिपोर्ट करेगा, ताकि मांग को पूरा करने के लिए ग्रेच्युटी के हिस्से को रोका जा सके।

4. त्यागपत्र देकर अथवा समय से पूर्व सेवानिवृत्त होकर सेना सेवा छोड़ने के इच्छुक प्रत्येक अधिकारी को समय से पूर्व सेवानिवृत्ति/त्यागपत्र के नफे-नुकसान पर विचार करने के बाद ही आवेदन करना चाहिए

क्योंकि ऐसे अनुरोधों को वापस लेने के अनुरोधों को बाद में, जब वे अग्रिम चरण में होते हैं, प्रशासनिक कठिनाइयों का कारण बनते हैं। इसलिए, आवेदक अधिकारी को अंतिम उपाय के रूप में समय पूर्व सेवानिवृत्ति/इस्तीफे का सहारा लेना चाहिए, जब उसके लिए कोई अन्य व्यावहारिक विकल्प उपलब्ध न हो। यदि उसे तैनाती, एसीआर में प्रतिकूल टिप्पणियों, सजा आदि के संबंध में कोई शिकायत है, तो उसे पहले निर्धारित चैनलों के माध्यम से निवारण की मांग करनी चाहिए और केवल तभी अपना आवेदन प्रस्तुत करना चाहिए जब वह अंततः बिना शर्त सेवा छोड़ने का निर्णय लेता है। आवेदन करते समय, उन्हें एक वचन देना चाहिए कि वह अपने अनुरोध को स्वीकार किए जाने के बाद वापस नहीं लेंगे।

5. समय पूर्व सेवानिवृत्ति/इस्तीफे के आवेदनों की जांच सेना मुख्यालय द्वारा की जाएगी। और सीओएएस के विचार और अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया गया है जो किसी ऐसे आवेदन को अस्वीकार कर सकता है जो उसके स्तर पर पर्याप्त और उचित कारण पर आधारित नहीं है, सरकार द्वारा स्वीकृति के लिए सिफारिश किए बिना।

केंद्र सरकार। यदि अधिकारी सीओएएस के फैसले से असंतुष्ट महसूस करता है, तो वह चाहे तो सेना अधिनियम की धारा 27 के प्रावधानों के तहत केंद्र सरकार को संबोधित एक वैधानिक शिकायत दर्ज कर सकता है। समय से पहले सेवानिवृत्त/त्यागपत्र देने के आवेदन पर केन्द्र सरकार का निर्णय अंतिम होगा,

जहां केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि सेवा की अनिवार्यताओं को पूरा करने के लिए अधिकारी का एक निर्दिष्ट अवधि के लिए सेवा में बने रहना आवश्यक है और वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की जा सकती है, तो वे सेवानिवृत्ति/ इस्तीफे के आदेश को स्थगित रखने का आदेश दे सकते हैं।

7. यदि कोई अधिकारी समय पूर्व सेवानिवृत्ति त्यागपत्र के अनुरोध को स्वीकार किए जाने के बाद अप्रत्याशित कारणों से अपने आवेदन को वापस लेने के लिए बाध्य हो जाता है, लेकिन उसके सेवानिवृत्त होने से पहले, वह केन्द्रीय सरकार को

आवेदन कर सकता है और उसके अनुरोध को केन्द्र सरकार का विवेकाधिकार प्रदान किया जा सकता है।

(13) सेना प्राधिकारियों द्वारा जारी सेना अधिकारियों (एएमसी, एडीसी और एमएनएस को छोड़कर) की समयपूर्व सेवानिवृत्ति और सेवा से त्यागपत्र से संबंधित दिनांक 31 दिसंबर, 1990 के नीतिगत निर्णय के संगत पैरा पर भी ध्यान दिया जा सकता है।:—

"अनुमोदन प्राधिकारी

3. सेना नियम, 1954 के नियम 16 और सेना संशोधित संस्करण के लिए विनियमन के पैरा 105 के अनुसार समय पूर्व सेवानिवृत्ति/इस्तीफे के अनुरोध को स्वीकार करने का एकमात्र अधिकार केंद्र सरकार के पास है। प्रत्येक मामले पर गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाता है।

आवेदन वापस लेना .

4. समय पूर्व सेवानिवृत्ति/इस्तीफे के अनुरोध पर सरकार का निर्णय अंतिम होता है और आम तौर पर आवेदन वापस लेने का अनुरोध अस्वीकार किया जा सकता है। तथापि, यदि कोई अधिकारी जिसका सेना से समयपूर्व सेवानिवृत्ति/त्यागपत्र का आवेदन स्वीकार कर लिया गया है, अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण अपना आवेदन वापस लेना चाहता है, तो वह केन्द्र सरकार के पास आवेदन कर सकता है और उसके अनुरोध पर गुण-दोष के आधार पर निर्णय लिया जाएगा।

इस संबंध में ध्यान सेना विनियम (संशोधित संस्करण) 1987 के पैरा 104 (डी) और आर्मी रूल्स, 1954 के नियम 16-बी की ओर दिलाया गया है। समय पूर्व सेवानिवृत्ति/इस्तीफे के अनुरोध को वापस लेने के लिए किसी भी आवेदन को निचले स्तर के अधिकारियों द्वारा इस आधार पर नहीं रोका जाएगा कि अधिकारी द्वारा बताए गए कारण विश्वसनीय नहीं हैं। इसके विपरीत ऐसे सभी आवेदन ो ं को इस मुख्यालय को अग्रेषित किया जाएगा। (एमएस ब्रांच/एमएस प्रीमेच्योर रिटायरमेंट) शीघ्रता से। आवेदन वापस लेने के संबंध में सूचना संबंधित इकाई/गठन द्वारा सीधे इस मुख्यालय (एमएस शाखा [एमएस समयपूर्व सेवानिवृत्ति) को चैनलों के माध्यम से तेजी से वापसी आवेदन प्रस्तुत करने के लिए सबसे तेज माध्यम से सूचित की जाएगी।'.

1. समय पूर्व सेवानिवृत्ति पर अधिकारियों को कार्यमुक्त करना - जिन अधिकारियों के समय पूर्व सेवानिवृत्ति के अनुरोध को सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है, उन्हें सेवानिवृत्ति आदेशों में निर्दिष्ट तिथि तक उनके कर्तव्यों से मुक्त कर दिया जाना चाहिए। आम तौर पर सेवानिवृत्ति के आदेशों में सेवानिवृत्ति की औपचारिकताओं को पूरा करने और किसी अधिकारी को उसके कर्तव्यों से मुक्त करने के लिए 90 दिनों का समय दिया जाता है। जहां सेवानिवृत्ति की तारीख समय से पहले सेवानिवृत्ति के लिए अधिकारी के आवेदन के अनुसार सेवानिवृत्ति आदेशों में निर्धारित है, अधिकारी को तदनुसार कर्तव्यों से मुक्त किया जाना चाहिए। हालांकि, किसी अधिकारी के छुट्टी पर होने, अस्पताल में भर्ती होने या हाल ही में अनुशासनात्मक कार्यवाही में शामिल होने या किसी अन्य महत्वपूर्ण प्रशासनिक कारण के कारण, इस मुख्यालय (सुश्री शाखा/सुश्री समयपूर्व सेवानिवृत्ति) को आवश्यक निर्देशों के लिए एफएचएसटेस्ट माध्यमों के माध्यम से तुरंत हटा दिया जाएगा। छुट्टी को भुनाने के संबंध में आदेशों की व्याख्या में किसी भी कठिनाई को स्पष्टीकरण के लिए इस मुख्यालय या सीडीए पुणे में एजी की शाखा, (पीएस 2) को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इसी तरह, पेंशन/ग्रेच्युटी पात्रता के बारे में सलाह एजी की शाखा (पीएस 4 सी) या सीडीए (पी) इलाहाबाद से प्राप्त की जानी चाहिए।

1. भाग-II के आदेश, संबंधित इकाइयां/प्रारूपकर्ता भाग-II आदेशों की एक प्रति इस मुख्यालय (एमएस ब्रांचएफएमएस समयपूर्व सेवानिवृत्ति) को अग्रेषित करेंगे , जिसमें उन अवकाशों के विवरण को अधिसूचित किया जाएगा जिनके लिए नकदीकरण की अनुमति दी गई है, उनकी संख्या समाप्त होने की तारीख और उनके स्थायी घर का पता सूचित किया जाएगा। जिसकी प्राप्ति के लिए यह मुख्यालय सीडीए (पी) इलाहाबाद को उनकी सेवानिवृत्ति की प्रभावी तारीख की सूचना देगा ताकि वे टर्मिनल प्रदान करने के संबंध में कार्रवाई शुरू कर सकें।

.16. समय पूर्व सेवानिवृत्ति और इस्तीफे के लिए आवेदन जमा करना - समय पूर्व सेवानिवृत्ति/इस्तीफे के लिए आवेदन इस मुख्यालय (एमएस शाखा/एमएस समयपूर्व सेवानिवृत्ति या (एमएस एक्स) जैसा भी मामला हो) को प्रतिलिपि में शीघ्रता से अग्रेषित किया जाएगा। आवेदक को किसी भी तारीख के संदर्भ के बिना जल्द से जल्द सेवानिवृत्त / इस्तीफा देने की इच्छा व्यक्त करनी चाहिए क्योंकि सक्षम प्राधिकारी के लिए वांछित तिथि तक निर्णय लेना प्रशासनिक रूप से सुविधाजनक नहीं हो सकता है। हालांकि, यदि कोई आवेदक किसी वैध कारण से किसी निर्दिष्ट तारीख से सेवानिवृत्त/इस्तीफा देना चाहता है, जैसे कि पेंशन का कम्युटेशन या पेंशन की उच्च दर, तो वह अपने आवेदन में एक संभावित तारीख इंगित कर सकता है और उस तारीख से कम से कम 4 महीने पहले अपना आवेदन जमा कर सकता है। आवेदन इस मुख्यालय एमएस शाखा में कर्नल और उससे नीचे के रैंक के अधिकारियों के संबंध में और ब्रिगेडियर और उससे ऊपर के रैंक के अधिकारियों के संबंध में एमएस एक्स को निर्धारित प्रारूप परिशिष्ट के अनुसार प्रस्तुत किया जाना चाहिए। की दो अग्रिम प्रतियां ... एक।...".

1. सेना नियमों के नियम 16-बी (आई) में कहा गया है कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए उत्तरदायी होने से पहले किसी अधिकारी की अपने अनुरोध पर सेवानिवृत्ति के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी की आवश्यकता होगी। नियम 16-बी (2) में प्रावधान है कि जिस अधिकारी के सेवानिवृत्त होने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया जाता है, वह अपने अनुरोध को वापस लेने के लिए केंद्र सरकार के पास आवेदन कर सकता है और केंद्र सरकार अपने विवेकानुसार उसके आवेदन को वापस लेने की अनुमति दे सकती है।

2. सेना नियमों के नियम 18 में उस प्रभावी तारीख का प्रावधान है जिससे सेवानिवृत्ति प्रभावी होती है। यह परिकल्पना की गई है कि

ऐसे अधिकारी की सेवानिवृत्ति सरकारी राजपत्र में ऐसी सेवानिवृत्ति की अधिसूचना में उस निमित्त विनिदष्ट तिथि से प्रभावी होगी। नियम 18(3)

इसमें प्रावधान है कि सेना अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति की सेवानिवृत्ति पूर्वव्यापी नहीं होगी। उक्त नियम केंद्र सरकार द्वारा सेना अधिनियम की धारा 191 (2) (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाए गए हैं। धारा 191 (1) में प्रावधान है कि केंद्र सरकार अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के उद्देश्य से नियम बना सकती है। सेना अधिनियम और उसकी उपधारा (2) (ए) में प्रावधान है कि उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति की व्यापकता के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, इसके तहत बनाए गए नियम उक्त अधिनियम के अधीन व्यक्तियों को हटाने, सेवानिवृत्ति, रिहाई या सेवा से निर्वहन करने का प्रावधान कर सकते हैं।

1. सेना अधिनियम की धारा 192 केंद्र सरकार को धारा 191 में निर्दिष्ट उद्देश्यों के अलावा उक्त अधिनियम के सभी या किन्हीं प्रयोजनों के लिए विनियम बनाने की शक्तियां प्रदान करती है। इसलिए, रक्षा सेवा विनियम, जिसका संदर्भ ऊपर दिया गया है, एक व्यापक क्षेत्र को कवर करता है। विनियम 104 सेवानिवृत्ति और त्यागपत्र से संबंधित है और उप-विनियम 104 में प्रावधान है कि किसी अधिकारी को तब तक उसके कर्तव्यों से मुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि यह सूचना प्राप्त नहीं हो जाती कि सेवानिवृत्त होने का उसका आवेदन स्वीकार कर लिया गया है और एक अधिकारी जिसका सेवानिवृत्त होने या इस्तीफा देने का आवेदन स्वीकार कर लिया गया है, वह अपने आवेदन को रद्द करने के लिए केंद्र सरकार के पास आवेदन कर सकता है। यह भी प्रावधान किया गया है कि उन अधिकारियों के मामले में जो एक बार सेवानिवृत्ति के लंबित होने तक छुट्टी पर चले गए हैं, ऐसे आवेदनों को वापस लेने की छूट केवल असाधारण मामलों में दी जाएगी। सेवानिवृत्त होने के सभी आवेदनों पर केंद्र सरकार का निर्णय अंतिम होगा। विनियम 105 में यह परिकल्पना की गई है कि सेवा से सेवानिवृत्त होने के लिए सेना के अधिकारियों के आवेदन निर्धारित चैनलों के माध्यम से सेना मुख्यालय ोें को अग्रेषित किए जाएंगे। आवेदक को एक संभावित तारीख देने की आवश्यकता नहीं है जिससे यह वांछित है कि सेवानिवृत्ति प्रभावी होनी चाहिए क्योंकि सक्षम प्राधिकारी के लिए वांछित तिथि तक निर्णय लेना प्रशासनिक रूप से सुविधाजनक नहीं हो सकता है।

(14) विनियम 105 (ङ) में प्रावधान है कि सेना सेवा छोड़ने के इच्छुक अधिकारी को पक्ष और विपक्ष का आकलन करने के बाद ही आवेदन

करना चाहिए क्योंकि बाद में ऐसे अनुरोध को वापस लेने का अनुरोध, जब वे विचार के अंतिम चरण में होते हैं, प्रशासनिक कठिनाइयों का कारण बनते हैं। इसलिए, अधिकारी को अंतिम उपाय के रूप में इसका सहारा लेना चाहिए। इसके अलावा, यदि किसी अधिकारी को एसीआर में प्रतिकूल टिप्पणी पारित करने और सजा आदि के संबंध में कोई शिकायत है, तो उसे पहले निर्धारित चैनलों के माध्यम से निवारण की मांग करनी चाहिए। आवेदन करते समय अधिकारी को एक वचन देना चाहिए कि वह स्वीकार किए जाने के बाद अपना अनुरोध वापस नहीं लेगा।

(15) विनियम 105(एच) में यह प्रावधान है कि यदि कोई अधिकारी समय पूर्व सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र के लिए उसके अनुरोध को स्वीकार किए जाने के बाद अप्रत्याशित कारणों से अपने आवेदन को वापस लेने के लिए बाध्य हो जाता है, लेकिन उसके सेवानिवृत्त होने से पहले, वह केन्द्र सरकार के पास आवेदन कर सकता है और उसके अनुरोध को केन्द्र सरकार के विवेकानुसार स्वीकार किया जा सकता है।

(16) दिनांक 31 दिसम्बर, 1990 के अनुदेशों, जिसका संदर्भ ऊपर दिया गया है, के पैरा संख्या 3 में यह प्रावधान है कि केन्द्र सरकार सेना नियमावली के नियम 16 और विनियमों के पैरा 105 के अनुसार समय पूर्व सेवानिवृत्ति के अनुरोध को स्वीकार करने का एकमात्र प्राधिकार है और प्रत्येक मामले पर उसके गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाता है। पैरा 4 में आवेदनों को वापस लेने का प्रावधान है जिसमें यह प्रावधान है कि समय पूर्व सेवानिवृत्ति के अनुरोध पर सरकार का निर्णय अंतिम है और सामान्यत आवेदन वापस लेने का अनुरोध अस्वीकृत किया जा सकता है। तथापि, यदि कोई अधिकारी जिसका सेना से समयपूर्व सेवानिवृत्ति का आवेदन स्वीकार कर लिया गया है, अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण अपना आवेदन वापस लेना चाहता है, तो वह केन्द्र सरकार को आवेदन कर सकता है और उसके अनुरोध पर गुण-दोष के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। इसके अलावा यह प्रावधान किया गया है कि समय पूर्व सेवानिवृत्ति/इस्तीफे के अनुरोध को वापस लेने के लिए किसी भी आवेदन को निचले अधिकारियों द्वारा इस आधार पर नहीं रोका जाएगा कि अधिकारी द्वारा बताए गए कारण विश्वसनीय नहीं हैं। इसके विपरीत ऐसे सभी आवेदनों को शीघ्र मुख्यालय (एमएस शाखा/एमएस समयपूर्व सेवानिवृत्ति) को भेज दिया जाएगा। आवेदन वापस लेने के संबंध में सूचना संबंधित इकाई/गठन द्वारा सीधे मुख्यालय (एमएस ब्रांचएफएमएस समयपूर्व सेवानिवृत्ति) को चैनलों

के माध्यम से वापसी आवेदन प्रस्तुत करने के लंबित माध्यम से सूचित की जाएगी।

अनुदेशों के पैरा 10 में प्रावधान है कि सामान्यत सेवानिवृत्ति संबंधी औपचारिकताओं को पूरा करने और किसी अधिकारी को उसके कर्तव्यों से मुक्त करने के लिए सेवानिवृत्ति आदेशों में 90 दिनों का समय दिया जाता है। इसके पैरा 11 में प्रावधान है कि संबंधित इकाइयां/कार्यालय भाग-II आदेशों की एक प्रति इस एचक्यू सीएमएस शाखा/एमएस समयपूर्व सेवानिवृत्ति को अग्रेषित करेंगे, जिसमें उन अवकाशों के ब्यौरे को सूचित किया जाएगा जिनके लिए नकदीकरण की अनुमति दी गई है, हटाए गए कर्मचारियों की संख्या की तारीख और उनके स्थायी घर का पता जिसकी प्राप्ति पर मुख्यालय नियंत्रक को उनकी सेवानिवृत्ति की प्रभावी तारीख के बारे में सूचित करेगा। रक्षा लेखा (पी) इलाहाबाद उन्हें टर्मिनल प्रदान करने के संबंध में कार्रवाई शुरू करने में सक्षम बनाने के लिए। अनुदेशों के पैरा 16 में समय पूर्व सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन प्रस्तुत करने का प्रावधान है और इसमें यह प्रावधान किया गया है कि आवेदक को किसी भी तारीख के संदर्भ के बिना यथाशीघ्र सेवानिवृत्त होने की इच्छा व्यक्त करनी चाहिए क्योंकि सक्षम प्राधिकारी के लिए वांछित तिथि तक निर्णय लेना प्रशासनिक रूप से सुविधाजनक नहीं हो सकता है।

1. उपर्युक्त सांविधिक प्रावधानों, विनियमों और अनुदेशों के संदर्भ से, यह देखा जा सकता है कि अधिकारियों को आमतौर पर समय पूर्व सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन करते समय सावधान रहने की सलाह दी गई है और ऐसे आवेदन करते समय उन्हें सावधान रहना चाहिए क्योंकि सामान्य रूप से अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाता है। इसके अलावा, एक बार अनुरोध करने वाले अधिकारियों को एक वचन देना होगा कि वे इस तरह के अनुरोध को वापस नहीं लेंगे। तथापि, समय पूर्व सेवानिवृत्ति के अनुरोध को वापस लेने के आवेदन पर केन्द्र सरकार द्वारा अपने विवेक ानुसार विचार किया जाना है। इसलिए, समय से पहले वापसी के अनुरोध को वापस लेने का अनुरोध करने के लिए आवेदन करने पर कोई रोक नहीं है। हालांकि, प्रतिवादी के वरिष्ठ स्थायी वकील श्री अनिल राठी ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता ने एक वचन दिया था कि वह अपना अनुरोध वापस नहीं लेगा और इसलिए, यह वचन उसे समय से पहले सेवानिवृत्ति के अनुरोध को वापस लेने के लिए अनुरोध नहीं करने के लिए बाध्य करता है। उन्होंने यह भी कहा है कि सरकार ने 26 फरवरी, 1993 को अनुरोध को मंजूरी दे दी थी, जो प्रासंगिक तारीख है जिसके तहत याचिकाकर्ता के अनुरोध को मंजूरी दी गई है और उक्त तारीख के बाद अनुरोध किसी भी मामले में सुनवाई योग्य नहीं

था। वह इस न्यायालय का ध्यान समय पूर्व सेवानिवृत्ति के लिए 8 दिसंबर, 1992 के आवेदन (अनुबंध पी-1) के पैरा 5 की ओर आकर्षित करता है, जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि याचिकाकर्ता ने समय पूर्व सेवानिवृत्ति फॉर्म सेवा के लिए अपने अनुरोध पर जल्द से जल्द विचार करने का अनुरोध किया है। इसके अलावा, वह उक्त आवेदन के उप-पैरा (बी) धारा III का भी उल्लेख करता है जिसमें याचिकाकर्ता ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उसने इसमें शामिल सभी कारकों पर विचार करने के बाद यह आवेदन प्रस्तुत किया है और इसके बाद अपना अनुरोध वापस नहीं लेगा। उन्होंने 26 फरवरी, 1993 के पत्र पर भी भरोसा किया, जिसमें प्रावधान किया गया है कि उनकी समय पूर्व वापसी साबित हो गई है और याचिकाकर्ता को उनके कर्तव्यों से मुक्त कर दिया जाएगा और उक्त पत्र जारी होने के 90 दिनों के बाद जितनी जल्दी हो सके उनकी संख्या को हटा दिया जाएगा। इसलिए, श्री राठी के अनुसार, सभी इरादों और उद्देश्यों के लिए याचिकाकर्ता के संबंध में सेवानिवृत्ति की प्रभावी तारीख 26 फरवरी, 1993 है और 23 मार्च, 1993 (अनुबंध पी 3) यानी 26 फरवरी, 1993 के बाद प्रस्तुत किए गए अनुरोध को वापस लेने का आवेदन सुनवाई योग्य नहीं है और याचिकाकर्ता को इसके अनुमोदन के बाद अपना अनुरोध वापस लेने से रोक दिया जाता है। श्री राठी ने ब्रिगेडियर बी एस गिल बनाम भारत संघ और अन्य (एस बी) के मामले में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के एक निर्णय पर दृढ़ता से भरोसा किया है। 2001 की सिविल रिट याचिका संख्या 392 पर 13 फरवरी, 2002 को निर्णय लिया गया।

2. मैंने उक्त तर्क पर विचार किया है। यह ध्यान दिया जा सकता है कि 26 फरवरी, 1993 याचिकाकर्ता की सेवानिवृत्ति की प्रभावी तारीख नहीं है। दिनांक 26 फरवरी, 1993 के आदेश (अनुलग्नक पी-2) के अवलोकन से पता चलता है कि यह केवल समयपूर्व सेवानिवृत्ति के अनुरोध का अनुमोदन है। इसमें विशेष रूप से यह प्रावधान किया गया है कि याचिकाकर्ता को उसके कर्तव्यों से मुक्त कर दिया जाएगा और उक्त पत्र के जारी होने के 90 दिनों के भीतर जितनी जल्दी हो सके ताकत को हटा दिया जाएगा। इसके अलावा, सेना नियमावली के नियम 18(1) में विशेष रूप से सेवानिवृत्ति की प्रभावी तारीख का प्रावधान है और उसमें यह प्रावधान किया गया है कि किसी अधिकारी की सेवानिवृत्ति सरकारी राजपत्र में सेवानिवृत्ति की अधिसूचना में इस संबंध में विनिदष्ट तिथि से प्रभावी होगी। दिनांक 9 मार्च, 1996 की राजपत्र अधिसूचना को रिकॉर्ड पर रखा गया है जिसमें याचिकाकर्ता के पुनरावृत्ति की तारीख 25 मई, 1993 (ए.एन.) दर्शाई गई है।

इसमें यह प्रावधान किया गया है कि भारत के राष्ट्रपति इसमें उल्लिखित अधिकारियों को उनके व्यक्तिगत कारणों से उनके स्वयं के अनुरोध पर सेवानिवृत्ति की सामान्य आयु से पहले, उनके खिलाफ उल्लिखित तारीखों से प्रभावी रूप से सेना सेवाओं से सेवानिवृत्त करने की अनुमति देते हैं और उन्हें यथासंशोधित 10/एस/63 के तहत अधिकारियों के नियमित रिजर्व (कक्षा X) में स्थानांतरित करते हैं। याचिकाकर्ता का नाम क्रम संख्या 54 पर है और उसके नाम के खिलाफ सेवानिवृत्ति की तारीख 25 मई, 1993 है। इसलिए, यह सेवानिवृत्ति की तारीख यानी 25 मई, 1993 है जो सेना नियमों के नियम 18 (1) के संदर्भ में पढ़ने पर सेवानिवृत्ति की प्रभावी तारीख है। इसके अलावा, सेना नियमों के नियम 18 (3) में यह भी प्रावधान है कि अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति की सेवानिवृत्ति पूर्वव्यापी नहीं होगी। इतना ही नहीं, प्रारंभिक आपत्तियों के पैरा नंबर 1 में वकीलों की दलील लेते हुए प्रतिवादियों द्वारा दायर लिखित बयान में भी यह कहा गया है कि याचिकाकर्ता 25 मई, 1993 से सेना से सेवानिवृत्त हुआ था। यहां तक कि दिनांक 25 मई, 1993 के विरुद्ध दिनांक 26 मई, 1993 (अनुलग्नक पी-6) के आदेश में भी यह दर्ज है।

"सेना सेवा से सेवानिवृत्ति" और दिनांक 26 मई, 1993 की तारीख के खिलाफ इसे "एसओएस / एसओआरएस" दर्ज किया गया है (यानी राशन की संख्या से हटा दिया गया है)। इसलिए, यह स्पष्ट है कि सभी इरादों और उद्देश्यों के लिए याचिकाकर्ता की सेवानिवृत्ति की प्रभावी तारीख 25 मई, 1993 है, न कि 26 फरवरी, 1993 जैसा कि श्री राठी द्वारा तर्क दिया गया है। समय पूर्व सेवानिवृत्ति वापस लेने का अनुरोध करने वाला आवेदन 23 मार्च, 1993, अनुलग्नक पी 3 यानी 25 मई, 1993 से पहले किया गया था। इसलिए, माना जाता है कि समय पूर्व सेवानिवृत्ति के अनुरोध को वापस लेने का अनुरोध 25 मई, 1993 को आदेश के प्रभावी होने से पहले किया गया था।

3. तथापि, जिस प्रश्न पर विचार किए जाने की आवश्यकता है वह यह है कि क्या ऐसा अनुरोध किया जा सकता है और उस पर विचार किया जा सकता है। बलराम गुप्ता के मामले (सुप्रा) में कर्मचारी ने 24 दिसंबर, 1980 को एक पत्र लिखा, जिसमें 31 मार्च, 1981 को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की मांग की गई। उन्होंने लिखा कि 1 जनवरी, 1981 से तीन महीने की नोटिस अवधि को माना जाए। दिनांक 20 जनवरी, 1981 के एक आदेश के तहत उन्हें 31 मार्च, 1981 की दोपहर से भावी प्रभाव से स्वैच्छिक रूप से सेवा से सेवानिवृत्त होने की अनुमति दी गई थी। तथापि, इस बीच, 31 जनवरी, 1981 को अर्थात् 20 जनवरी, 1981 को सेवानिवृत्त होने की अनुमति दिए जाने के बाद कर्मचारी ने इस आधार पर अपना नोटिस वापस ले लिया कि स्टाफ सदस्यों के लगातार और व्यक्तिगत अनुरोध के कारण उसने अपना विचार बदल दिया था। कर्मचारी को 31 मार्च, 1981 के एक आदेश द्वारा कार्यमुक्त कर दिया

गया था, जिसमें यह भी उल्लेख किया गया था कि उसके वापस लेने के आवेदन पर विचार किया गया था और इसे स्वीकार्य नहीं पाया गया था। उक्त मामले में भी उपयुक्त नियमों का उल्लेख किया गया था जिसमें कहा गया था कि किसी सरकारी कर्मचारी को ऐसे प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना अपना नोटिस वापस लेने से रोका जाएगा। इसके अलावा, इसमें यह निर्धारित किया गया था कि वापसी के लिए अनुरोध सेवानिवृत्ति की इच्छित तारीख से पहले किया जाएगा जिसे उक्त मामले में स्वीकार किया गया था। तथापि, प्राधिकरण की स्वीकृति नहीं दी गई थी। यह माना गया था कि इसलिए, सामान्य नियम जो कुछ मामलों में प्रचलित है कि कोई व्यक्ति प्रभावी होने से पहले अपना इस्तीफा वापस ले सकता है, उसमें प्रकृति के मामले पर पूरी तरह से लागू नहीं होगा क्योंकि सरकारी कर्मचारी ऐसे प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना वापस नहीं ले सकता है। एयर इंडिया बनाम नेर्गेश मीरजा (3) के मामले में दिए गए फैसले का भी उल्लेख किया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि कर्मचारियों के प्रति सरकार के दृष्टिकोण में मनमानी और शत्रुतापूर्ण भेदभाव नहीं होना चाहिए। बाल राम गुप्ता के मामले में यह तर्क दिया गया था कि एक सरकारी कर्मचारी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के पत्र को वापस लेने के अधिकार के रूप में मांग करने का हकदार नहीं था, यह केवल अनुग्रह के रूप में दिया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय के उनके लॉर्डशिप की ओर ध्यान राज कुमार बनाम भारत संघ (4) के पूर्व के एक निर्णय की ओर दिलाया गया था, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने दोहराया था कि जब तक स्वीकृति को नियंत्रित करने वाले नियमों के अनुरूप उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा त्यागपत्र स्वीकार नहीं किया जाता, तब तक संबंधित लोक सेवक का अधिकार है, लेकिन उसके बाद नहीं। हालांकि, बाल राम गुप्ता के मामले में इस्तीफा संभावित रूप से प्रभावी होना था।

1. एआईआर 1981 एस.सी. 1829
2. एआईआर 1969 एस.सी.

तारीख और यह माना गया था कि इसमें कर्मचारी के पास अधिकार था। इसके अलावा, यह माना गया था कि यह एक सराहनीय आवश्यकता हो सकती है कि एक सरकारी कर्मचारी अपनी इच्छा से इस्तीफे या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के पत्र को वापस नहीं ले सकता है और सरकार को इस्तीफे या सेवानिवृत्ति के पत्र लिखकर और बिना किसी कारण के तुरंत वापस ले सकता है। हालांकि, यह माना गया था कि अनुमोदन प्राधिकारी जिसके पास वैधानिक अधिकार है, उसे यथोचित और तर्कसंगत रूप से कार्य करना चाहिए। बाल राम गुप्ता के मामले में सामने रखा गया एकमात्र कारण यह था कि अपीलकर्ता ने वापस लेने के अपने कारणों का संकेत नहीं दिया था। माननीय उच्चतम न्यायालय की राय में यह

पर्याप्त रूप से इंगित किया गया था कि उनके मित्रों ने उन पर विजय प्राप्त की थी और उन्होंने इस मामले पर दूसरी बार विचार किया था और यह अनुचित कारण नहीं था। अंततः यह माना गया कि प्रतिवादी द्वारा अनुमति वापस लेने का कोई वैध कारण नहीं था और आगे दिशानिर्देशों का अनुपालन किया गया था क्योंकि इसमें कर्मचारी ने संकेत दिया था कि सरकारी सेवा जारी रखने की दिशा में परिस्थितियों में बदलाव आया था। इस बात पर भी जोर दिया गया कि आधुनिक और अनिश्चित युग में किसी के भविष्य को किसी भी निश्चितता के साथ व्यवस्थित करना बहुत मुश्किल है, एक निश्चित मात्रा में लचीलेपन की आवश्यकता होती है और यदि ऐसा लचीलापन सरकार या प्रशासन को खतरे में नहीं डालता है, तो प्रशासन को मानवीय मन और दृष्टिकोण के लचीलेपन का जवाब देने और स्वीकार करने के लिए पर्याप्त शालीनता होनी चाहिए और कर्मचारी को मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में सेवानिवृत्ति के अपने पत्र को वापस लेने की अनुमति देनी चाहिए। इस प्रकार उत्पन्न हुई बहुत सारी जटिलताओं को इस तरह के गरिमापूर्ण रवैये से टाला जा सकता था। न्यायालय असहज कर्मचारियों को राहत देने के लिए घुमावदार तरीकों की निंदा करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता है और एक आदर्श नियोक्ता के रूप में सरकार को अपने कर्मचारियों के साथ उच्च ईमानदारी और ईमानदारी के साथ व्यवहार करना चाहिए। बाल राम गुप्ता के मामले में फैसले का अनुपात शंभू मुरारी सिन्हा के मामले (सुप्रा) में दोहराया गया है। उक्त मामले में अपीलकर्ता ने दिनांक 18 अक्तूबर,--, 1995 के आवेदन के माध्यम से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की मांग की जिसे 30 जुलाई, 1997 के पत्र के माध्यम से स्वीकार कर लिया गया और इस बात की सूचना दी गई कि रिलीज मेमो के साथ विवरण विवरण का पालन किया जाएगा। अपीलकर्ता को 26 सितंबर, 1997 को कार्यमुक्त कर दिया गया था, लेकिन इस तारीख से पहले स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए 18 अक्टूबर, 1995 के आवेदन को 7 अगस्त, 1997 को उनके द्वारा वापस ले लिया गया था। यह माना गया था कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की प्रभावी तारीख 26 सितंबर, 1997 थी और वापसी, जो इस तारीख से पहले थी, कानून में स्वीकार्य थी। इसलिए, अपीलकर्ता को सभी परिणामी लाभों के साथ सेवा में बने रहने का हकदार माना गया था। संविधान का भी हवाला दिया गया |

भारत संघ और अन्य बनाम गोपाल चंद्र मिश्रा और अन्य (5) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की पीठ का निर्णय, जिसमें पैरा 50 में यह माना गया था कि सामान्य सिद्धांत यह है कि कानूनी संविदात्मक या संवैधानिक रोक के अभाव में, संभावित इस्तीफा प्रभावी होने से पहले किसी भी समय वापस लिया जा सकता है और यह तब प्रभावी हो जाता है जब यह इस्तीफा देने वाले के रोजगार या कार्यालय कार्यकाल को समाप्त करने के लिए संचालित होता है। कानून की स्थापित स्थिति को दोहराया गया कि अपीलकर्ता के पास कर्मचारी या नियोक्ता के संबंध समाप्त होने से पहले स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए अपने प्रस्ताव को

वापस लेने का अधिकार है। शंभू मुरारी सिन्हा के मामले में फैसले का फिर से बैंक ऑफ इंडिया बनाम ओपी स्वर्णकार (6) में पालन किया गया। इसमें शामिल सामान्य प्रश्न यह था कि क्या कोई कर्मचारी जो राष्ट्रीयकृत बैंकों और भारतीय स्टेट बैंक द्वारा शुरू की गई योजना के अनुसार या आगे बढ़ने के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प चुनता है, उसे उक्त प्रस्ताव को वापस लेने से रोक दिया जाएगा। विभिन्न सेवानिवृत्ति योजनाओं की मुख्य विशेषताओं को ध्यान में रखने और सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील में उठाए गए तर्कों पर विचार करने के बाद, अपील में निर्धारण के लिए कानून के निम्नलिखित प्रश्न तैयार किए गए थे ।

—

1. क्या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीएचएस) के तहत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्राप्त करने के लिए किसी कर्मचारी द्वारा आवेदन को सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकार किए जाने से पहले ऐसे कर्मचारी द्वारा वापस लिया जा सकता है, हालांकि योजना में एक स्पष्ट शर्त शामिल है कि इसके तहत किया गया आवेदन अपरिवर्तनीय है और कर्मचारी को एक बार प्रस्तुत करने के बाद आवेदन वापस लेने का कोई अधिकार नहीं होगा?

2. चाहे वीआरएस के तहत आवेदन करने पर नियोक्ता बैंक को पक्षकारों के बीच स्वामी और नौकर के बीच किसी न किसी तरीके से एकतरफा संबंध निर्धारित करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है .

(17)उक्त मामले में विभिन्न बैंकों ने अपने कर्मचारियों की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए एक योजना तैयार की थी ताकि अपने कर्मचारियों को अधिकार देकर जनशक्ति नियोजन का कार्य किया जा सके। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के संबंध में योजना किसके संबंध में लागू थी?

---

1. (1978) 2 एस.सी.सी. 301
2. (2003) 2 एस.सी.सी. 721

जिन कर्मचारियों ने आवेदन की तारीख को 15 साल की सेवा या 40 साल की उम्र पूरी कर ली थी। इसमें शामिल कानूनी मुद्दों पर विचार अनुबंध के दायरे में था और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के अनुरोध को वापस लेने का कोई वैधानिक नियम नहीं था। यह माना गया कि भारतीय संविदा अधिनियम के प्रावधान लागू होते हैं। इसके अलावा, योजना की प्रकृति में इलाज के लिए एक निमंत्रण शामिल था, न कि एक प्रस्ताव के लिए एक प्रस्ताव जिसे

एक व्यक्ति द्वारा स्वीकार किया गया था। कर्मचारी एक संपन्न अनुबंध में फलीभूत हो सकता है। यह बल्कि बैंक द्वारा कर्मचारी के प्रस्ताव को स्वीकार करना था जो एक वादे का गठन करेगा और एक अप्रत्याशित अनुबंध में समाप्त होगा और इसके विपरीत वैधानिक प्रावधानों के किसी भी बाध्यकारी अनुबंध के अभाव में, इस तरह के प्रस्ताव ने भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 5 को आकर्षित किया। इसलिए, योजना में निषेध खंड होने के बावजूद यह माना गया कि उच्च न्यायालय ने सही कहा कि एक कर्मचारी योजना से अपना विकल्प स्वीकार करने से पहले वापस ले सकता है। पंजाब नेशनल बैंक द्वारा तैयार की गई योजना के पैरा 10.5 का हवाला दिया गया था, जो एक कर्मचारी को एक बार विकल्प का उपयोग करने के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए किए गए अनुरोध को वापस लेने से रोकता है। योजना के पैरा 10 के अन्य उप-पैरा में यह प्रावधान था कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का अनुरोध तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा इसे स्वीकार नहीं किया जाता है, जिसके पास उस अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार करने की पूर्ण छूट होगी। इस योजना में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन करने के लिए एक विशेष प्रक्रिया का प्रावधान किया गया था। बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने अपने आवेदन प्रस्तुत किए, जिनमें से एक छोटी संख्या ने अपना प्रस्ताव वापस ले लिया। प्रस्ताव वापस लेने के बावजूद, इसे स्वीकार कर लिया गया था। कुछ मामलों में योजना की प्रचालन अवधि समाप्त होने के बाद प्रस्तावों को वापस लेने के बावजूद स्वीकार कर लिया गया। विभिन्न उच्च न्यायालयों में रिट याचिकाएं दायर की गई थीं ताकि बैंक द्वारा कर्मचारियों के आवेदनों को वापस लेने के बावजूद उनकी स्वीकृति को चुनौती दी जा सके। बैंक ने तर्क दिया था कि पैरा 10.5 में खुद को प्रस्तुत करके कर्मचारी को यह माना जाना चाहिए कि उसने प्रेसेंटी में इस्तीफा दे दिया है और इसलिए, इसमें निहित संविदात्मक बार को कानून में बुरा नहीं माना जा सकता है। प्रभावित कर्मचारियों ने तर्क दिया कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना केवल पेशकश करने के लिए एक निमंत्रण थी और इसके अनुसरण में कर्मचारी के विकल्प ने एक प्रस्ताव का गठन किया और इसलिए, अनुबंध अधिनियम की धारा 5 के मद्देनजर, संबंधित कर्मचारी को समाप्त अनुबंध पर पहुंचने से पहले इसे वापस लेने का पूर्ण अधिकार था और विचाराधीन खंड 10.5 था, इस प्रकार, अनुबंध अधिनियम की धारा 5 के तहत बाहर माना जाता है। आगे यह माना गया कि एक अधिकारी द्वारा दी गई केवल घोषणा कि वह प्रस्ताव को वापस नहीं लेगा या रद्द नहीं करेगा,

वह अपने स्थान को नष्ट नहीं करेगा। इसके अलावा, प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद, कर्मचारी द्वारा अपने पद से मुक्त होने से पहले इसे वापस लिया जा सकता है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि एक बार कर्मचारियों द्वारा दायर आवेदन को 'प्रस्ताव' माना जाता है, तो किसी अन्य बाध्यकारी अनुबंध या क़ानून या सांविधिक नियमों के अभाव में अनुबंध अधिनियम की धारा 5 लागू हो जाएगी। यह देखा गया कि भारतीय स्टेट बैंक के कर्मचारी वैधानिक नियमों द्वारा शासित होते हैं। यहां तक कि अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारियों को भी स्थायी आदेशों और द्विपक्षीय समझौतों द्वारा शासित किया जाता था, जिनके पास कानून का बल था। इसलिए, बैंक कर्मचारियों की सेवाओं को समाप्त करने के लिए "हायर एंड फायर" का सहारा नहीं ले सकते थे। उन्हें इसके लिए निर्धारित मानदंडों के संदर्भ में निष्पक्ष और सख्ती से कार्य करने की आवश्यकता है और इस संबंध में उनके कार्यों को संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए। इसके अलावा, यह भी कहा गया था कि किसी कर्मचारी की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का अनुरोध भविष्य में प्रभावी नहीं होगा।

a. जैसा कि पहले ही ऊपर देखा जा चुका है, इस मामले में वैधानिक नियम हैं और सेना विनियमन के नियम 18 के अनुसार सेवानिवृत्ति की तारीख आधिकारिक राजपत्र में ऐसी सेवानिवृत्ति की अधिसूचना में उस संबंध में निर्दिष्ट तारीख है। अत, माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के अनुपात को ध्यान में रखते हुए दिनांक 26 फरवरी,--, 1993 के पत्र (अनुलग्नक पी-2) के माध्यम से सेवानिवृत्ति का मात्र अनुमोदन मात्र सेवानिवृत्ति को प्रभावी नहीं बनाएगा बल्कि भविष्य में इसकी प्रभावी तिथि से प्रभावी हो जाएगा। केवल यह तथ्य कि याचिकाकर्ता ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के अपने अनुरोध में एक वचन दिया था, सेना नियमों के वैधानिक प्रावधानों के खिलाफ एक बाधा के रूप में काम नहीं करेगा। इसलिए, स्थिति यह है। जब तक कर्मचारी को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद कर्तव्यों से मुक्त नहीं किया जाता है, तब तक नियोक्ता और कर्मचारी के बीच संबंध समाप्त नहीं होते हैं। दिनांक 26 फरवरी, 1993 का आदेश (अनुलग्नक पी-2) सशर्त था और याचिकाकर्ता को उसके कर्तव्यों से मुक्त किया जाना था और उक्त पत्र के जारी होने के 90 दिनों के भीतर जितनी जल्दी हो सके उसे हटा दिया जाना था। इससे पहले कि उनके कर्तव्यों से मुक्त होने की शर्त

का अनुपालन किया जाता, याचिकाकर्ता ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के अपने अनुरोध को वापस ले लिया। इसलिए, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति को मंजूरी देने वाला आदेश प्रभावी नहीं हुआ।.

b. हालांकि, प्रतिवादियों के वकील पी. कासिलिंगम बनाम पीएसजी कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी (7) के फैसले पर भरोसा करते हैं कि यह एक नौकर के लिए खुला है कि वह भविष्य के दिन से अपना इस्तीफा दे सकता है और इसे स्वीकार करने से पहले इस तरह के इस्तीफे को वापस ले सकता है। हालांकि, सरकारी कर्मचारी की सेवाएं आम तौर पर उस तारीख से समाप्त हो जाएंगी जिस दिन उचित प्राधिकारी द्वारा इस्तीफा पत्र स्वीकार किया जाता है, जब तक कि इसके विपरीत सेवा की शर्तों को नियंत्रित करने वाला कोई कानून या वैधानिक नियम किसी अन्य कर्मचारी के मामले में लागू नहीं हो सकता है। पी. कासिलिंगम के मामले (सुप्रा) में अपीलकर्ता एक व्याख्याता था और परिवीक्षा पर रहते हुए वह कर्तव्य की उपेक्षा और गैर-जिम्मेदाराना आचरण के लिए विभागीय जांच के अधीन था। विभागीय जांच शुरू होने से पहले अपीलकर्ता ने प्रिंसिपल को संबोधित दो पत्र सौंपे, पहला माफी का पत्र और दूसरा इस्तीफे का पत्र। माफी का पत्र वास्तव में उसके अपराध की स्वीकारोक्ति थी। इस्तीफे के पत्र ने इस अनुरोध के साथ सेवा छोड़ने के उनके इरादे का संकेत दिया कि उनकी सेवाओं को छह महीने के लिए बनाए रखा जा सकता है। इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया और यह निर्देश दिया गया कि अपीलकर्ता को छह महीने के बाद कर्तव्यों से मुक्त कर दिया जाए और जांच को छोड़ दिया जाए। इसके बाद प्राचार्य ने छह महीने की अवधि के लिए उनके वेतन के भुगतान पर उनकी सेवाओं को समाप्त करने का आदेश जारी किया। अपीलकर्ता ने तमिलनाडु निजी कॉलेज (विनियमन) अधिनियम, 1976 के तहत अपील को प्राथमिकता दी। सरकार ने तकनीकी शिक्षा के अतिरिक्त निदेशक को अपीलकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच करने का निर्देश दिया, जो इस आशय का था कि उनका इस्तीफा पत्र स्वैच्छिक नहीं था, बल्कि जबरदस्ती प्राप्त किया गया था। जांच अधिकारी ने माना

कि अपीलकर्ता द्वारा लगाए गए आरोप निराधार थे। इस रिपोर्ट को सरकार द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था और यह माना गया था कि त्यागपत्र स्वैच्छिक नहीं था। तदनुसार सरकार ने अपील को स्वीकार कर लिया और अपीलकर्ता को तत्काल प्रभाव से बहाल करने का निर्देश दिया। प्रबंधन ने एक रिट याचिका द्वारा सरकार के आदेश को चुनौती दी, जिसमें सरकार के आदेश को उच्च न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया था। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह माना गया था कि उच्च न्यायालय ने इस मामले को गलत दृष्टिकोण से देखा था और सरकार के आदेश को रद्द करते हुए उच्च न्यायालय ने कहा कि उसका निष्कर्ष किसी भी सबूत पर आधारित नहीं है, बल्कि अनुमानों और अनुमानों पर आगे बढ़ा है। इसलिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियां सीधे तौर पर मुद्दे में नहीं थीं और मुद्दे में सवाल यह था कि क्या इस्तीफा दिया गया था

(18)AIR 1981 S.C 789

स्वैच्छिक जिसे अन्य तथ्यों से निष्कर्ष निकालने का विषय माना गया था, जो अनिवार्य रूप से तथ्यों में से एक था और इस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता था कि सरकार के पास निस्संदेह उसके समक्ष सामग्री पर अपने स्वयं के निष्कर्ष निकालने का अधिकार क्षेत्र था। मामले के इस दृष्टिकोण में, इसमें शामिल प्रश्न वास्तव में यह नहीं था कि क्या सरकारी कर्मचारी की सेवाएं उस तारीख से समाप्त कर दी जाएंगी जिस तारीख को त्यागपत्र स्वीकार किया गया था। इसके अलावा, उक्त टिप्पणियां कि एक सरकारी कर्मचारी की सेवाएं आम तौर पर उस तारीख से समाप्त हो जाती हैं जिस दिन उचित प्राधिकारी द्वारा इस्तीफा पत्र स्वीकार किया जाता है, जब तक कि इसके विपरीत सेवा की शर्तों को नियंत्रित करने वाला कोई कानून या वैधानिक नियम न हो, राज कुमार बनाम भारत संघ (सुप्रा) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के पहले के फैसले पर आधारित हैं। शंभू मुरारी सिन्हा के मामले (सुप्रा) में राज कुमार के मामले (सुप्रा) पर विचार किया गया था और यह माना गया था कि राज कुमार के मामले (सुप्रा) का उक्त मामले में सीधा असर नहीं हो सकता है और उसमें निर्धारित सिद्धांत पर ध्यान दिया गया था। शंभू मुरारी सिन्हा के मामले (सुप्रा) में, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम प्रमोद कुमार भाटिया (8) के फैसले का भी संदर्भ दिया गया था, जिसमें इसे निम्नानुसार माना गया था।.....

> "यह अब स्थापित कानूनी स्थिति है कि जब तक कर्मचारी को ड्यूटी से मुक्त नहीं किया जाता है, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या इस्तीफे

की पेशकश की स्वीकृति के बाद, कर्मचारी और नियोक्ता के बीच संबंध समाप्त नहीं होते हैं।

1. शंभू मुरारी सिन्हा के मामले (सुप्रा) में उपरोक्त फैसले का अनुपात दोहराया गया था। मामले के इस दृष्टिकोण में, पी. कासिलिंगम के मामले (सुप्रा) में फैसले का अनुपात वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता है।

2. प्रतिवादियों के वकील ने ब्रिगेडियर बीएस गिल बनाम भारत संघ और अन्य मामले में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के फैसले पर भी भरोसा किया। 2001 की एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 392, 13 फरवरी, 2002 को तय की गई। उद्धृत मामले में, याचिकाकर्ता, जो सेना में ब्रिगेडियर थे, ने 20 अप्रैल, 2000 को सेवा से समय पूर्व सेवानिवृत्ति के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया। उक्त आवेदन को केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था- आदेश के तहत

---

(19)(1997) 4 एस.सी.सी. 280

दिनांक 17 अगस्त, 2000 के पत्र के माध्यम से इस निर्णय के बारे में सूचित किया गया था जिसमें यह सूचित किया गया था कि उक्त तारीख से 90 दिनों के भीतर अधिकारी को उसके कर्तव्यों से मुक्त कर दिया जाएगा। याचिकाकर्ता ने उन्हें कार्यमुक्त करने की तारीख दिसंबर, 2000 तक बढ़ाने की मांग की थी ताकि वह सेना अधिकारी के तौर पर भारतीय सैन्य अकादमी में अपने बेटे की पासिंग आउट परेड देख सकें। इस अनुरोध को 25 सितम्बर, 2000 को स्वीकार कर लिया गया था। तथापि, पत्र भेजे जाने से पहले याचिकाकर्ता ने 12 अक्तूबर, 2000 को समय पूर्व सेवानिवृत्ति के लिए अपने आवेदन को वापस लेने और सेना में अपनी सेवा जारी रखने के लिए एक आवेदन दायर किया। इसमें प्रतिवादी प्राधिकारी ने दिनांक 18 अक्तूबर, 2000 के पत्र के माध्यम से याचिकाकर्ता से समय पूर्व सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन वापस लेने के लिए आवेदन में दिए गए कारणों के समर्थन में दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए कहा था। इसमें याचिकाकर्ता की सेवानिवृत्ति को मंजूरी देने वाले 21 अगस्त, 2000 के आदेश को स्थगित रखा गया था ताकि याचिकाकर्ता के वापस लेने के आवेदन पर विचार किया जा सके। इसे वापस लेने के लिए दिनांक 12 अक्तूबर, 2000 के आवेदन पर विचार किया गया था लेकिन दिनांक 19 दिसम्बर, 2000 के पत्र के माध्यम से इसे अस्वीकार कर दिया गया था और यह भी निदेश दिया गया था कि याचिकाकर्ता को 45 दिनों के भीतर कार्यमुक्त कर दिया जाएगा। इसमें याचिकाकर्ता की उक्त रिट याचिका को खारिज कर दिया गया था। यह माना

गया कि याचिकाकर्ता ने समय से पहले सेवानिवृत्ति के अनुरोध को जल्द से जल्द स्वीकार करने के लिए प्रस्तुत किया था और इसे भावी प्रभाव से लागू नहीं किया जाना था और इस तरह यह जल्द से जल्द प्रभावी हो जाता है। स्वीकृत। हालांकि, सेना नियमों के नियम 18 के प्रावधान, जो सेवानिवृत्ति की तारीख यानी आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना में उस संबंध में निर्दिष्ट तारीख प्रदान करते हैं, को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के ध्यान में नहीं लाया गया था। इसलिए, यह इस धारणा पर आगे बढ़ा कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के अनुरोध का अनुमोदन .एक स्वीकृति थी जो स्वीकार होते ही प्रभावी हो गई। हालांकि, वैधानिक प्रावधान यानी सेना नियमों के नियम 18 में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि प्रभावी तारीख आधिकारिक राजपत्र में ऐसी सेवानिवृत्ति की सूचना में उस संबंध में निर्दिष्ट तारीख है। वर्तमान मामले में, जैसा कि पहले ही ऊपर देखा जा चुका है, आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना में उल्लिखित याचिकाकर्ता की सेवानिवृत्ति की तारीख 25 मई, 1993 है और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति को वापस लेने का अनुरोध 23 मार्च, 1993 को इस तारीख से पहले था (अनुबंध पी-3)। सेना नियमावली के नियम 16-ख (2) के अनुसार यह प्रावधान है कि कोई अधिकारी जिसके सेवानिवृत्त होने का अनुरोध मंजूर कर लिया जाता है, वह सेवानिवृत्त होने से पहले अपने अनुरोध को वापस लेने के लिए केन्द्र सरकार के पास आवेदन कर सकता है और केन्द्र सरकार अपने विवेकानुसार उसके आवेदन को वापस लेने की अनुमति दे सकती है। नियम में ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण शब्द यह है कि जहां सेवानिवृत्त होने का अनुरोध स्वीकार किया जाता है, अधिकारी "यदि वह सेवानिवृत्त हो गया है" तो वह वापसी के लिए आवेदन कर सकता है। इसलिए, अनुरोध को मंजूरी देने या स्वीकार करने से पहले यह नहीं है कि एक अधिकारी अपने अनुरोध को वापस लेने के लिए आवेदन कर सकता है, लेकिन वह "सेवानिवृत्त होने से पहले" आवेदन कर सकता है। प्रभावी सेवानिवृत्ति आधिकारिक राजपत्र में ऐसी सेवानिवृत्ति की अधिसूचना में निर्दिष्ट तारीख होगी। इसी तरह सेना विनियमों के विनियम 104 (घ) के प्रावधान हैं जिनमें यह प्रावधान है कि किसी अधिकारी को तब तक उसके कर्तव्यों से मुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि यह सूचना प्राप्त नहीं हो जाती कि सेवानिवृत्त होने या इस्तीफा देने का उसका आवेदन स्वीकार कर लिया गया है। इसके बाद, यह प्रावधान किया गया है कि "एक अधिकारी जिसका सेवानिवृत्त होने या इस्तीफा देने का आवेदन स्वीकार कर लिया गया है, वह अपने आवेदन को रद्द करने के लिए केंद्र सरकार को आवेदन कर सकता है"। इसका निस्संदेह मतलब है कि एक अधिकारी अपने अनुरोध को स्वीकार किए जाने के बाद सेवानिवृत्त होने के अपने अनुरोध को रद्द करने के लिए आवेदन कर सकता है। तथ्य यह है कि समय पूर्व सेवानिवृत्ति के आवेदन में इस आशय का एक प्रमाण है "लेकिन, अब, मेरे नियंत्रण से परे बेहद बाध्यकारी घरेलू परिस्थितियों ने मुझे जल्द से जल्द सेवा से समयपूर्व सेवानिवृत्ति के लिए अपना आवेदन प्रस्तुत करने

के लिए मजबूर किया है", किसी भी मामले में इसका मतलब यह होगा कि अनुरोध को मंजूरी मिलते ही प्रभावी होना चाहिए। वास्तव में, सेना विनियमों के विनियम 105 में यह प्रावधान है कि सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन करते समय आवेदक को ऐसी भावी तिथि देने की आवश्यकता नहीं है जिससे यह वांछित हो कि सेवानिवृत्ति प्रभावी होनी चाहिए क्योंकि सक्षम प्राधिकारी के लिए यह प्रशासनिक रूप से सुविधाजनक नहीं हो सकता है। एक वांछित तिथि तक निर्णय। विनियम 105(ज) के प्रावधान सेना नियमावली के नियम 16---ख के उपबंधों के अनुरूप भी हैं जिसमें यह प्रावधान है कि यदि किसी अधिकारी को अप्रत्याशित कारणों से समय पूर्व सेवानिवृत्ति/त्यागपत्र के अनुरोध को स्वीकार करने के बाद लेकिन सेवानिवृत्त होने से पहले अपने आवेदन को वापस लेने के लिए बाध्य किया जाता है तो वह केन्द्र सरकार के पास आवेदन कर सकता है और उसके अनुरोध को उसके विवेक ानुसार स्वीकार किया जा सकता है। इसलिए, विनियम 105 (एच) के प्रावधानों में समय पूर्व सेवानिवृत्ति के अनुरोध को स्वीकृति के बाद वापस लेने का भी प्रावधान है।

1. इसलिए, उपरोक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता स्वीकृति की मंजूरी के बाद समय से पहले सेवानिवृत्ति के लिए अपना अनुरोध वापस ले सकता है और यह केंद्र सरकार पर था कि वह अपने विवेक के अनुसार इस पर विचार करे। इसलिए, प्रश्न संख्या 1 का उत्तर सकारात्मक रूप से दिया गया है कि एक सैन्य अधिकारी अनुमोदन या स्वीकृति के बाद लेकिन इसके प्रभावी होने से पहले समय पूर्व सेवानिवृत्ति के लिए अपना अनुरोध वापस ले सकता है।

2. दूसरा प्रश्न जिस पर विचार करने की आवश्यकता है, वह समय पूर्व सेवानिवृत्ति के आवेदन को वापस लेने के अनुरोध को अस्वीकार करने के लिए सेना मुख्यालय की क्षमता के बारे में है। सेना नियमों के नियम 16-बी (2) के संदर्भ से पता चलता है कि एक अधिकारी जिसके अनुरोध को स्वीकार किया retire.is है, वह सेवानिवृत्त होने से पहले, अपने अनुरोध को वापस लेने के लिए केंद्र सरकार को आवेदन कर सकता है और केंद्र सरकार अपने विवेक पर उसके आवेदन पर इस तरह की वापसी की अनुमति दे सकती है। इसलिए, स्पष्ट रूप से समय पूर्व सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन वापस लेने के अनुरोध को मंजूरी देने की शक्ति केंद्र सरकार के पास है। तथापि, दिनांक 21 अप्रैल, 1993 के आदेश (अनुलग्नक पी-4) का अवलोकन,

जिसमें कहा गया है कि समयपूर्व सेवानिवृत्ति वापस लेने के लिए याचिकाकर्ता के अनुरोध पर विचार किया गया है और उसे अस्वीकार कर दिया गया है, सेना मुख्यालय द्वारा जारी किया जाता है न कि केन्द्र सरकार द्वारा। भारत संघ के विद्वान स्थायी वकील ने यह दिखाने के लिए मामले की फाइल पेश करने में समय लिया था कि क्या केंद्र सरकार द्वारा समय पूर्व सेवानिवृत्ति के अनुरोध को अस्वीकार करने के लिए विचार प्रक्रिया पर विचार किया गया था या नहीं। हालांकि, समय लेने और निर्देश मांगने के बाद, उन्होंने कहा कि फाइल का पता नहीं चल रहा है और पूरी संभावना है कि जनवरी, 1995 में नष्ट कर दिया गया है, जिसके लिए उन्हें निर्देश प्राप्त हुए हैं। इसलिए, वह यह बताने की स्थिति में नहीं हैं कि क्या समय पूर्व सेवानिवृत्ति के अनुरोध पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया गया था जैसा कि सेना नियमों के नियम 16-बी (2) द्वारा संलग्न है। तथापि, श्री राठी ने तर्क दिया है कि किसी भी मामले में केन्द्र सरकार ने सेना मुख्यालय को समय पूर्व सेवानिवृत्ति के मामलों पर विचार करने की शक्तियां प्रत्यायोजित की थीं। अपने तर्क के समर्थन में उन्होंने अधिनियम की धारा 8 पर भरोसा किया जो निम्नानुसार है:—

> (8) जहां भी इस अधिनियम के अधीन व्यक्ति किसी ऐसे सैन्य संगठन का नेतृत्व करने वाले अधिकारी के अधीन सेवारत हैं जिसका विशेष रूप से इस धारा में नाम नहीं है और केंद्र सरकार की राय में है, जो एक ब्रिगेड से कम नहीं है, तो सरकार उस अधिकारी को निर्धारित कर सकती है जिसके द्वारा शक्तियां, जो इस अधिनियम के तहत सेनाओं की कमान संभालने वाले अधिकारियों द्वारा प्रयोग की जा सकती हैं, सेना कोर, डिवीजनों और ब्रिगेडों, जहां तक ऐसे व्यक्तियों का संबंध है, का प्रयोग किया जाएगा।
>
> (2) केन्द्रीय सरकार ऐसी शक्तियाँ प्रदान कर सकेगी, या तो पूर्णत या ऐसे प्रतिबंधों, आरक्षणों, अपवादों और शर्तों के अध्यधीन, जिन्हें वह उचित समझे।

1. पहली नज़र में, उपरोक्त धारा 8 को पढ़ने से यह धारणा बनती है कि केंद्र सरकार या तो पूरी तरह से या ऐसे प्रतिबंधों, आरक्षणों, अपवादों और शर्तों के अधीन शक्तियां प्रदान कर सकती है जो वह उचित समझे। तथापि, उक्त धारा 8 चप्तर II

के अंतर्गत आती है जिसे कतिपय मामलों में अधिनियम के अनुप्रयोग के लिए विशेष प्रावधान' शीर्षक द्वारा उल्लिखित किया गया है। धारा 4 जो सेना अधिनियम के अध्याय II के अंतर्गत भी है, में केन्द्रीय सरकार के अधीन कतिपय बलों पर सेना अधिनियम को लागू करने का प्रावधान है जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि केन्द्र सरकार अधिसूचना द्वारा उस सरकार के प्राधिकार के अधीन भारत में सृजित और अनुरक्षित किसी बल पर सेना अधिनियम के सभी या किन्हीं उपबंधों को संशोधनों के साथ या बिना संशोधनों के लागू कर सकती है और सेना के लिए किसी अन्य अधिनियमन के प्रचालन को स्थगित कर सकती है। उक्त बल पर लागू होने वाला समय। इसलिए, विधायिका का इरादा केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कुछ अन्य बलों को सेना अधिनियम की शक्तियां प्रदान करना है और यह उक्त बलों के प्रयोजनों के लिए है जो नियमित सेना के अलावा होंगे कि शक्तियों को सेना अधिनियम की धारा 8 के संदर्भ में प्रदान किया जाना है। इसलिए मेरे विचार से यह नियमित सैन्य अधिकारियों पर लागू नहीं होगा। यह इस शब्द के प्रयोग से स्पष्ट होता है कि "जब भी इस अधिनियम के अधीन व्यक्ति किसी सैन्य संगठन की कमान संभालने वाले अधिकारी के अधीन सेवारत होते हैं"। "किसी भी सैन्य संगठन" का संदर्भ केंद्र सरकार के अधिकार के तहत उठाए गए और बनाए गए बलों से संबंधित है, जिसके लिए सेना अधिनियम के प्रावधानों को सेना अधिनियम की धारा 4 के संदर्भ में लागू किया जा सकता है। इस प्रयोजन के लिए केन्द्र सरकार ऐसी शक्तियां प्रदान कर सकती है जो पूर्णतया या कतिपय प्रतिबंधों के अधीन हों जैसा कि केन्द्रीय सरकार उचित समझे।

2. इसलिए, मेरे विचार से, सेना अधिनियम की धारा 8 सेना के नियमों के नियम 16-बी के अनुसार सेना अधिकारी द्वारा किए गए समयपूर्व सेवानिवृत्ति को वापस लेने के लिए आवेदन के अनुरोध पर विचार करने के लिए सेना मुख्यालय को अधिकार सौंपने की शक्ति नहीं देती है।

3. तथापि, रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 6 मार्च, 1993 के अनुदेशों पर अत्यधिक भरोसा किया जाता है जिसे 8 जनवरी, 2003 के आदेश द्वारा रिकार्ड में लिया गया है, जो श्री राठी के

अनुसार इस प्रयोजनार्थ केन्द्र सरकार द्वारा सेना मुख्यालय को शक्तियों के प्रत्यायोजन का आधार है।

रक्षा मंत्रालय द्वारा दिनांक 6 मार्च, 1993 को जारी उक्त अनुदेश निम्नानुसार हैं :—

रक्षा मंत्रालय डी (एमएस)

विषय : सेना के अधिकारियों की समय पूर्व सेवानिवृत्ति।

****

सेना के अधिकारियों को समय पूर्व सेवानिवृत्ति के लिए अपने आवेदन को आगे बढ़ाते समय, अन्य बातों के साथ-साथ, यह प्रमाणित करना होता है कि उन्होंने इसमें शामिल सभी कारकों पर उचित विचार करने के बाद आवेदन प्रस्तुत किया है और बाद में अपने अनुरोध वापस ले लेंगे।

2. हाल ही में, सेना मुख्यालय सेना के अधिकारियों से समय पूर्व सेवानिवृत्ति के लिए उनके आवेदनों पर पहले के आदेश को रद्द करने के लिए एमओडी अनुरोधों का उल्लेख कर रहा है। हाल ही में मंत्रालय में निम्नलिखित मामले प्राप्त हुए थे .—

1. लेफ्टिनेंट कर्नल एनके खोसला (टीसी-17040) ईएमई।
2. कर्नल विजय गायकवाड़ एसी-13298) एमएलआई।
3. लेफ्टिनेंट कर्नल (टीएस) आर. आर. सिंह (सी-17963) इंजीनियरिंग.

1. ये अनुरोध अधिकारियों को समय पूर्व सेवानिवृत्ति पर जाने से कुछ दिन पहले ग्यारहवें घंटे में प्राप्त हुए थे।

2. समय पूर्व सेवानिवृत्ति एक बड़ी घटना है और सेना के अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे ऐसा करने का निर्णय लेने से पहले इस तरह के कदम के पक्ष और विपक्ष पर विचार करें। उन्हें इस आशय का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना आवश्यक है। ऐसा करने के बाद, उनके लिए यह स्वीकार्य नहीं है कि वे कुछ हफ्तों के बाद अपने कदम वापस ले लें और समय से पहले सेवानिवृत्ति के लिए अपने पहले के आवेदन को वापस

लेने का अनुरोध करें, जब इसे उचित चैनलों के माध्यम से संसाधित किया गया हो और सरकार द्वारा निर्णय लिया गया हो।

3. इसलिए सेना मुख् यालय से अनुरोध किया जाता है कि वह इस विषय पर सभी स् थानों को उपयुक् त अनुदेश जारी करे। इसके अलावा, सेना मुख्यालय को भी सरकार को भेजे बिना अपने स्तर पर ऐसे आवेदनों को अस्वीकार कर देना चाहिए, जब तक कि ऐसा करने के लिए ठोस बाध्यकारी कारण न हों, जिनका विशेष रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए।

---

4. सरकार, एक विशेष मामले के रूप में, उपर्युक्त पैरा 2 में उल्लिखित अधिकारियों को अनुमति देने में सीओएएस की सिफारिशों से सहमत थी। कृपया यह ध्यान दिया जाए कि भविष्य में सरकार द्वारा ऐसे अनुरोधों पर विचार नहीं किया जा सकता है।

(डी. बासू),

संयुक्त सचिव (जी)।

डी आईडी नंबर का एम। *15(1)/93/D(MS)* दिनांक 6 मार्च, 1993।

(जोर जोड़ा गया)"

(20) मैं पहले ही कह चुका हूं कि सेना अधिनियम की धारा 8 के प्रावधान सेना मुख्यालय को सेना नियमों के नियम 16-बी (2) के संदर्भ में समय पूर्व सेवानिवृत्ति वापस लेने के अनुरोध पर विचार करने के लिए कोई शक्ति प्रदान नहीं करते हैं। इसके अलावा, यह संदेह से परे है कि केंद्र सरकार प्रशासनिक सुविधा के लिए कार्यकारी निर्देश जारी कर सकती है, लेकिन वे मुख्य रूप से किसी विशेष मामले पर नियमों में रिक्त अंतराल को भरने के लिए हैं। ये प्रशासनिक निर्देश: .ns वैधानिक नियमों पर खुद को प्रतिस्थापित या अधिरोपित नहीं करते हैं। राज्य की कार्यकारी शक्तियों को विशेष रूप से क़ानून द्वारा कवर किए गए क्षेत्र से बाहर रखा गया है। केंद्र सरकार की कार्यकारी शक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 77 (3) के तहत विभिन्न पदाधिकारियों के बीच विभाजित है। प्रत्यायोजित या अधीनस्थ विधान के माध्यम से वैधानिक प्रावधानों द्वारा भर्ती और सेवा की शर्तों को विनियमित करने का उद्देश्य मनमानी को खारिज करना, स्थिरता प्रदान करना और संबंधित कर्मचारियों के अधिकारों को क्रिस्टलाइज करना है। केंद्र सरकार सेना नियमों के नियम 16-बी (2) के अनुसार प्रत्यायोजित कार्यों का अभ्यास

करती है जो सेना अधिनियम की धारा 191 (एल) और 2 (ए) के आधार पर अधिनियमित सेना नियमों द्वारा प्रदत्त हैं। इसलिए, 6 मार्च के निर्देश,
(ग) केन्द्र सरकार द्वारा जारी 1993 में सेना मुख्यालय को यह निदेश दिया गया था कि वह सरकार को भेजे बिना अपने स्तर पर समयपूर्व सेवानिवृत्ति वापस लेने के अनुरोध के आवेदनों को अस्वीकार कर दे, जब तक कि ऐसा करने के लिए ठोस बाध्यकारी कारण न हों, यह अपने अधिकार क्षेत्र का परित्याग करने का कार्य है और यह अवैध है। एक प्रतिनिधि अधिक या प्रत्यायोजित शक्तियों के उल्लंघन में शक्तियों का प्रयोग करने का हकदार नहीं है। इसलिए, दिनांक 6 मार्च, 1993 के अनुदेश केन्द्र सरकार को प्रत्यायोजित शक्तियों से अधिक तैयार किए गए हैं। जहां एक क़ानून या प्रत्यायोजित कानून की आवश्यकता होती है

किसी विशेष तरीके से किया जाने वाला विशेष कार्य, यह अकेले उसी तरीके से किया जाना है और अन्य तरीके निषिद्ध हैं। हालांकि, भारत संघ के विद्वान स्थायी वकील ने विभिन्न निर्णयों के आधार पर इन निर्देशों को सही ठहराने की मांग की, जिन्हें बाद में देखा जा सकता है :-

(क) विद्वान वकील रूप चंद बनाम पंजाब राज्य पर भरोसा करते हैं, (9) राज्य सरकार ने ईस्ट पंजाब होल्डिंग्स (समेकन और रोकथाम) की धारा 41 (1) के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए
विखंडन अधिनियम, 1948 ने धारा 21 (4) के तहत किसी अधिकारी को अपील सुनने के लिए अपनी शक्तियां प्रत्यायोजित कीं। ऐसे अधिकारी द्वारा पारित आदेश को राज्य सरकार द्वारा पारित आदेश माना गया था, न कि उक्त अधिनियम के तहत किसी अधिकारी द्वारा पारित आदेश। धारा 41 (1) के वैधानिक प्रावधानों में राज्य सरकार के लिए ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त करने की व्यवस्था की गई है जो वह उचित समझे और अधिसूचना द्वारा अधिनियम के तहत अपने कार्यों की किसी भी शक्ति को नाम या पदनाम से अपने किसी अधिकारी को सौंप सकती है। इस प्रकार, धारा 41(1) के अंतर्गत प्रत्यायोजन की विशिष्ट शक्ति होने के कारण, निर्णय का अनुपात लागू नहीं होता है।

बत्ता रिया बनाम बॉम्बे राज्य (10) निवारक निरोध अधिनियम, 195 () के तहत निवारक निरोध का मामला था। उक्त मामले में उठाई गई आपत्तियों में से एक यह थी कि हिरासत की पुष्टि

का आदेश उचित कानूनी रूप में नहीं था क्योंकि इसे संविधान के अनुच्छेद 166 (1) द्वारा आवश्यक राज्यपाल के नाम पर व्यक्त नहीं किया गया था। यह माना गया था कि सार्वजनिक कर्तव्यों को बनाने वाले क़ानून के प्रावधान निर्देशिका हैं और निजी अधिकार प्रदान करने वाले अनिवार्य हैं। यह पाया गया कि हिरासत के आदेश की पुष्टि करने का निर्णय वास्तव में उचित सरकार द्वारा लिया गया था। इसलिए, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का कोई उल्लंघन नहीं हुआ। इसलिए, उक्त निर्णय भी लागू नहीं होता है।

---

1. एआईआर 1963 एस.सी. 1503
2. एआईआर 1952 एस.सी.

(ग) चितर लेखा बनाम मैसूर राज्य (आईएल) मामले में फिर से आपत्ति यह थी कि सरकार के अवर सचिव द्वारा चयन बोर्ड को हस्ताक्षरित पत्र, जिसमें कॉलेजों में प्रवेश को विनियमित करने के लिए साक्षात्कार निर्धारित करने के सरकार के निर्णय की सूचना दी गई थी, इस आधार पर उठाया गया था कि यह राज्यपाल के नाम पर जारी नहीं किया गया था। आपत्ति को बिना मेरिट के माना गया था। इस मामले में विचार के लिए जो प्रश्न उठाया गया था, वह उसमें शामिल नहीं था।

(21) पक्षकारों के विद्वान वकील द्वारा उद्धृत अन्य प्राधिकरण भी लागू नहीं होते हैं जहां मामला विवाद में है जैसा कि वर्तमान मामले में नहीं था। इसलिए, तैयार किए गए प्रश्न संख्या 2 का उत्तर यह कहते हुए दिया जाता है कि सेना अधिकारी के संबंध में समय से पहले सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन वापस लेने के अनुरोध पर विचार करने की शक्ति केंद्र सरकार में निहित है और इसके विपरीत किसी भी वैधानिक प्रावधानों या नियमों के अभाव में यह शक्ति सेना मुख्यालय को नहीं सौंपी जा सकती है और वह भी प्रशासनिक निर्देश जारी करके।.

(22) तीसरे प्रश्न पर अब ध्यान दिया जा सकता है। जैसा कि पहले ही ऊपर देखा जा चुका है, दिनांक 21 अप्रैल, 1993 का आदेश (अनुबंध पी-4) याचिकाकर्ता की समयपूर्व सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन वापस लेने के अनुरोध को अस्वीकार करता है। उक्त आदेश निम्नानुसार है -.

"टेली 301 8823" पंजीकृत

सेना मुख्यालय एमएस शाखा /.
डीएचक्यू पीओ, नई दिल्ली, 110 011।

38176/3935/एमएस पीआर 21 अप्रैल, 1993 मुख्यालय 16 (1) आर्मर्ड ब्रिगेड, .सी/0 65 एपीओ।

समय पूर्व सेवानिवृत्ति

आईसी-37227-के, मेजर दीपिंदर सिंह, एसी।

1. अपने दिनांक 24 मार्च, 93 के पत्र संख्या 3242/ए का संदर्भ लें। 2. सेना सेवा से समय पूर्व सेवानिवृत्ति वापस लेने के उपर्युक्त अधिकारी के अनुरोध पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार किया गया है और इसे अस्वीकार कर दिया गया है।

---

1. एआईआर 1964 एस.सी. 1823

---

(3) अधिकारी को तदनुसार सूचित किया जा सकता है, कृपया स्वीकार करें।

(Sd.) . . .,
के. एस. कुमार,

सैन्य सचिव के लिए सिविलियन स्टाफ ऑफिसर, डीएएमएस/समय पूर्व सेवानिवृत्ति।

कॉपी करें.

मुख्यालय 16 निकाय
(एमएस) सी /0 56
एपीओ"

(23) कम से कम यह कहना कि अस्वीकृति किसी भी कारण से रहित है। स्थापित कानूनी स्थिति एक प्रशासनिक निर्णय के समर्थन में कारणों को रिकॉर्ड करना है जो एक कर्मचारी के लिए बुरे परिणाम देता है। किसी निर्णय के समर्थन में कारणों की रिकॉर्डिंग प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का एक

स्वीकृत पहलू है। इसके अनुसार, एक पार्टी को न केवल निर्णय के परिणाम को जानने का अधिकार है, बल्कि उसके समर्थन में कारण भी हैं। यह एक अच्छा नियम पाया गया है। कारणों की रिकॉर्डिंग स्पष्टता का परिचय देती है और मनमानी को खारिज करती है। इसके अलावा, यदि न्यायिक समीक्षा को प्रभावी होना है, तो कारणों का रिकॉर्ड आवश्यक है। एक प्रभावी न्यायिक समीक्षा के लिए जो एक नागरिक के अधिकारों को प्रभावित करता है, यह वांछनीय माना गया है कि कारणों को दर्ज किया जाना चाहिए। हालांकि, आदेश के समर्थन में कारणों को दर्ज नहीं करने से, कार्रवाई को दूषित नहीं किया जाता है, लेकिन साथ ही, यह धारणा छोड़ी जाती है कि तर्कसंगतता का परीक्षण जिसके लिए सभी प्रासंगिक सामग्रियों पर विचार करने और सभी अप्रासंगिक सामग्रियों को बाहर करने की आवश्यकता होती है, का अनुपालन नहीं किया गया है। दिनांक 21 अप्रैल, 1993 का निर्णय (अनुलग्नक पी-4) यदि यह मान भी लिया जाए कि यह सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिया गया है (यद्यपि मैं प्रश्न संख्या 2 पर विचार करते समय पहले ही कह चुका हूं कि केन्द्र सरकार अपने कार्यों को सेना मुख्यालय को प्रत्यायोजित नहीं कर सकती है) तो भी यह देखा जा सकता है कि प्राधिकारियों द्वारा अभिलेख में मौजूद सामग्री पर विचार नहीं किया गया है। समय पूर्व सेवानिवृत्ति के अनुरोध को वापस लेने के लिए बदली हुई परिस्थितियों के कारण दिए गए थे: निर्णय लेने की प्रक्रिया में प्रासंगिक परिस्थितियां थीं: 23 मार्च, 1993 के आवेदन (अनुबंध पी-3) में इसे वापस लेने का अनुरोध करते समय कारणों का उल्लेख किया गया है।

समय पूर्व सेवानिवृत्ति। समीक्षा अधिकारी की सिफारिशें, जो उक्त आवेदन के आधार पर हैं (अनुबंध पी-3) भी एक महत्वपूर्ण परिस्थिति थी जिस पर विचार किया जाना था। याचिकाकर्ता के ब्रिगेडियर कमांडर की उक्त सिफारिशें निम्नलिखित प्रभाव की हैं ....

समीक्षा अधिकारी की सिफारिशें

अधिकारी एक सक्षम, अच्छा, समर्पित रेजिमेंटल अधिकारी है। चूंकि उनके परिवार की स्थिति में बदलाव आया है और अब वह बने रहना चाहते हैं, इसलिए सेवा के हित में, उन्हें बनाए रखने की जोरदार सिफारिश की जाती है।

स्टेशन एस। सी/0 56 एपीओ एसडी/- तारीख 23 मार्च, 93 (अर्जुन सिंह) ब्रिगेडियर सीडीआर।

(24) 19 मार्च 1993 के दो हलफनामे, याचिकाकर्ता P—के भाइयों के अनुबंध 3/1 और लिनेक्स पी--3/2 भी आवश्यक दस्तावेज थे, जिन पर निर्णय लेने की

प्रक्रिया में विचार किया जाना आवश्यक था, इसके अलावा, 20 तारीख का प्रमाण पत्र। मई, 1993 (अनुबंध ई एफएम-5) जो याचिकाकर्ता के ब्रिगेडियर कमांडर द्वारा दिया गया था, जिसमें उनकी कलम की तस्वीर थी, वह भी एक दस्तावेज था जिसमें निर्णय तक पहुंचने के लिए सक्षम प्राधिकारी के सहयोग की आवश्यकता थी। याचिकाकर्ता की कलम भी एक प्रासंगिक कारक थी जो एफ के लिए उत्तरदायी थी | याचिकाकर्ता के अनुरोध पर विचार करने के लिए क्या किया जाता है? समय पूर्व सेवानिवृत्ति के अनुरोध का विश्लेषण। पेन चित्र को निम्नलिखित किया गया है:—

"पेन पिक्टुस्का।:

अधिकारी के पास विचार की औसत से अधिक बुद्धिमत्ता स्पष्टता है, वह अपने दृष्टिकोण में व्यावहारिक है और अपने संसाधनों का प्रबंधन करता है। उसकी एक स्पष्ट धारणा है और वह अपने कार्य को अच्छी तरह से समझता है, उसकी सत्यनिष्ठा और वफादारी निर्विवाद है और पर्यवेक्षण के बिना कार्य करने के लिए उस पर भरोसा किया जा सकता है। उनकी ईमानदारी और मानव प्रबंधन उनकी ताकत है और वह जिस संगठन में शामिल होंगे, उसकी अच्छी तरह से सेवा करेंगे।

(25)इसलिए, निर्णय लेने की प्रक्रिया में प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखने में अधिकारियों की विफलता निर्णय को दूषित करती है। ऐसा प्रतीत होता है कि सेना मुख्यालय ने मुख्य रूप से केंद्र सरकार द्वारा जारी 6 मार्च, 1993 के निर्देशों के मद्देनजर समय पूर्व सेवानिवृत्ति के अनुरोध को वापस लेने के लिए याचिकाकर्ता के आवेदन को खारिज कर दिया है।

जिसे ऊपर बनाया गया है। इसलिए, तैयार किए गए प्रश्न संख्या 3 का उत्तर यह कहते हुए दिया जाता है कि सैन्य प्राधिकरण का निर्णय, यह मानते हुए कि उसके पास ऐसा आदेश पारित करने का अधिकार क्षेत्र है, मनमाना है क्योंकि निर्णय लेने की प्रक्रिया में संबंधित सामग्री को ध्यान में नहीं रखते हुए अधिकार क्षेत्र की त्रुटि है, जिसे ध्यान में रखा जाना था।

(26) एक अन्य पहलू जिस पर विचार करने की आवश्यकता है, वह यह है कि प्रतिवादियों के वकील द्वारा उठाए गए मुद्दों का उल्लेख किया गया है, यह तर्क दिया गया है कि समय पूर्व सेवानिवृत्ति के अनुरोध को अस्वीकार करने का आदेश 21 अप्रैल, 1993 (अनुबंध पी-4) को पारित किया गया था और याचिकाकर्ता 25 मई, 1993 (अनुबंध पी -6) से सेना से सेवानिवृत्त हो गया था और उसने 21 अगस्त को रिट याचिका दायर की थी। 1995. याचिकाकर्ता ने अपनी प्रतिकृति में इस देरी को इस तरह से समझाया है कि 25 मई, 1993 को वास्तव में सेवानिवृत्त होने से पहले, उन्होंने 23 मार्च, 1993 (अनुबंध पी -3) को अपना आवेदन प्रस्तुत किया था, जिसमें समय से पहले सेवानिवृत्ति के लिए अपने अनुरोध को वापस लेने का अनुरोध किया गया था, लेकिन इसके बावजूद उन्हें कर्तव्यों से मुक्त कर दिया गया था। इसके बाद, याचिकाकर्ता ने समय पूर्व सेवानिवृत्ति के अपने अनुरोध पर पुनर्विचार करने के लिए दिनांक 3 मई, 1993 (अनुबंध पी-7) को अभ्यावेदन दिया। इसके अलावा, 26 मई, 1993 को याचिकाकर्ता की रिहाई के तुरंत बाद, उन्होंने 2 जून, 1994 (अनुबंध पी-8) को एक और अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, जिसमें समय पूर्व सेवानिवृत्ति के अनुरोध को वापस लेने के अपने अनुरोध पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया गया था। इसके बाद दिनांक 1 मार्च, 1995 को एक अन्य अभ्यावेदन (अनुपत्र पी-9) प्रस्तुत किया गया। इसलिए, यह ऐसा मामला नहीं है जहां याचिकाकर्ता निष्क्रिय था या अपने अधिकारों का आंदोलन नहीं कर रहा था। बल्कि अभ्यावेदनों का जवाब देने के लिए अधिकारियों की ओर से निष्क्रियता थी। अन्यथा भी, लाचे की दलील प्रकृति में एक तकनीकी है। याचिकाकर्ता ने सीमा की अवधि के भीतर एक रिट याचिका दायर की है यदि उसने उसी राहत की घोषणा के लिए सिविल मुकदमा दायर किया था। इसलिए, उपरोक्त परिस्थितियों और उठाई गई याचिका की तकनीकी प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, जो स्थापित कानून के अनुसार यह है कि जहां तकनीकी विचार और वास्तविक न्याय को एक-दूसरे के खिलाफ खड़ा किया जाता है, वहां वास्तविक न्याय का कारण प्रबल होना चाहिए। इसलिए, मेरे विचार में, प्रतिवादियों द्वारा आग्रह की गई याचिका में कोई दम नहीं है।

(27) उपरोक्त कारणों से रिट याचिका को स्वीकार किया जाता है और दिनांक 26 फरवरी, 1993 (अनुलग्नक पी-2), 21 अप्रैल, 1993 (अनुलग्नक पी-4) और 26 मई, 1993 (अनुलग्नक पी-6) के आदेशों को रद्द किया जाता है और याचिकाकर्ता को सभी परिणामी लाभों के साथ उसकी समयपूर्व सेवानिवृत्ति की तारीख से सेना की सेवा में माना जाना है। हालांकि, लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

लक्ष्य गर्ग
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
चरखी दादरी , हरियाणा